भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/41/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
*****

दिनांक: 26.09.2025

अंतिम निष्कर्ष
मामला सं. एडी (ओआई) – 38/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जाँच ।

फा. सं. 6/41/2024-डीजीटीआर: - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान उन पर पाटन रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे एडी नियमावली, 1995 या एडी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मेसर्स इंद्रायणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "घरेलू उद्योग" या "आवेदक" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम" कहा गया है) और एडी नियमावली, 1995 के अनुसार चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज"** (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/41/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें एडी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत की गई ताकि संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

   क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जाँच की शुरूआत करने से पूर्व भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 महीने) की है। वर्तमान जाँच के लिए क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 और जाँच अवधि शामिल है।

घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर, 2024 को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत जानकारी प्रदान करें और जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध प्रस्तुत करें।

ङ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश (एनसीवी) की प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी परिचालित की।

च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें।

छ. हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालित होने के 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:

1) मेसर्स एस्कॉन प्रिंट टेक्नोलॉजी
2) मेसर्स एक्स विजन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
3) मेसर्स बीजिंग ज़िंट्रोन ऑफिस इक्विपमेंट कंपनी
4) मेसर्स कार्ट्रिज लैंड लिमिटेड
5) मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
6) मेसर्स यूकोई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
7) मेसर्स फार इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
8) मेसर्स फ्यूचरटेक ग्लोबल इनोवेशन्स लिमिटेड
9) मेसर्स ग्लोबल कनेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
10) मेसर्स थ्रीआरवी इमेजिंग कंपनी लिमिटेड
11) मेसर्स जस्टमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड
12) मेसर्स कोगोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
13) मेसर्स मैक्सवेल इमेज लिमिटेड
14) मेसर्स झुहाई एनलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
15) मेसर्स झुहाई झोंगकाई इमेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

झ. संबद्ध देश से पीयूसी के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

1) मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
2) मेसर्स जिनरुइयांग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
3) मेसर्स मैक्सवेल इमेज लिमिटेड
4) मेसर्स नाइनस्टार इमेज टेक लिमिटेड
5) मेसर्स शंघाई ओरिंक इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड
6) मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
7) मेसर्स झेजियांग झुओताई प्रिंटर कंज्यूमेबल्स कंपनी लिमिटेड
8) मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
9) मेसर्स झुहाई ओरिटोन इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड
10) मेसर्स झुहाई एससीसी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
11) मेसर्स झुहाई झोंगकाई इमेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

ञ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं:

1) मेसर्स अल्फाबेट इमेजिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2) मेसर्स आर्यन ट्रेड वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
3) मेसर्स जियोनिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
4) मेसर्स इमेज स्टार प्रिंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5) मेसर्स इंडिगो प्रिंट्स स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
6) मेसर्स जेट टेक इन्फो-कंज्यूमेबल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
7) मेसर्स न्यू पेरिफेरल्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
8) मेसर्स न्यूवोटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
9) मेसर्स प्रभात कंप्यूटर
10) मेसर्स प्रीमियर कंप्यूटर्स
11) मेसर्स प्रिंस एंटरप्राइज
12) मेसर्स आरएक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
13) मेसर्स संगम एंटरप्राइजेज
14) मेसर्स स्मार्ट इमेजिंग टेक्नोलॉजी
15) मेसर्स सुमंगलम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
16) मेसर्स सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
17) मेसर्स विहान इम्पेक्स
18) मेसर्स ज़ेब्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ट. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं, जिन्होंने संबद्ध जाँच में पंजीकरण कराया है, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके भागेदारी की है।

1) मेसर्स इंडिगो प्रिंट्स स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
2) मेसर्स प्रीमियर कंप्यूटर्स
3) मेसर्स सुमंगलम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
4) मेसर्स टेक्नो इमेजिंग सॉल्यूशंस
5) मेसर्स यूआर एंटरप्राइजेज

ठ. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने, जिन्होंने विषयगत जांच में पंजीकरण कराया है, प्राधिकारी को प्रारंभिक प्रस्तुतियां दाखिल करके भाग लिया है।

1) मेसर्स डेल्को कॉपियर
2) मेसर्स राहुल एंटरप्राइजेज
3) मेसर्स विहान इम्पेक्स

ड. संबद्ध देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या जाँच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें इस जाँच में असहयोगी माना गया है।

ढ. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय/विभाग को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार या संबंधित मंत्रालय/विभाग ने ईआईक्यू का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

ण. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय अंश प्राधिकारी के साथ-साथ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल द्वारा भेज दें।

त. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और डीजी सिस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयात का सौदावार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों के समुचित सत्यापन और समुचित विश्लेषण के पश्चात इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और मूल्य की गणना हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

थ. सभी हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के एनसीवी के परिचालन की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करते हुए पीयूसी/पीसीएन संबंधी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 5 नवंबर, 2024 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई थीं।

द. दिनांक 18 नवंबर, 2024 को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी एक बैठक आयोजित की गई। बैठक से पहले और बाद में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों/अनुरोधों की जाँच करने और बैठक के दौरान हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह मत था कि पीसीएन बनाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसके बाद, हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों/अनुरोधों की जाँच के बाद, पीयूसी और पीसीएन पद्धति का अंतिम दायरा 28 नवंबर, 2024 के पत्र द्वारा अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त सूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि मामले के तथ्यों को देखते हुए पीसीएन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ध. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 1 मई, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच के बारे में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण 4 जून, 2025 को एक और मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। दूसरी मौखिक सुनवाई में उपस्थित सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए गए। हितबद्ध

पक्षकारों को लिखित अनुरोधों की एनसीवी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

न. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण, भारत में संबद्ध वस्तु के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

प. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की आवश्यकतानुसार जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

फ. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन/डेस्क सत्यापन भी, आवश्यकतानुसार किया गया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।

ब. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश (एनसीवी) प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

भ. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी संगत तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जाँच के लिए संगत मानी जाती हैं।

म. इस अंतिम निष्कर्ष में, '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

य. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जाँच अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 83.70 है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"2. विचाराधीन उत्पाद "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)। निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जांच के दायरे में नहीं आते हैं:

क. कलर लेज़र टोनर कार्ट्रिज
ख. एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज (चेकों में छपाई के लिए प्रयुक्त विशेष टोनर)
ग. इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज
घ. मुद्रण उपकरणों के मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज

3. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुद्रण के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 84 के अंतर्गत एचएस कोड: 84439959 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएस कोड केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर उसके वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना, विचार करेंगे।

5. हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 5 नवंबर, 2024 तक का समय दिया गया था। तत्पश्चात, उक्त मुद्दों पर 18 नवंबर, 2024 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के अनुसरण में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे, जो निम्नानुसार हैं:

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) यह अनुरोध किया गया है कि जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 2 (घ) के अनुसार, "मुद्रण उपकरणों के मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज" को संबद्ध जाँच के दायरे से बाहर रखा गया है। यह अनुरोध किया गया है कि यह बहिष्करण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे इस पर और स्पष्टीकरण दें कि क्या भारत को मशीनें निर्यात करने वाले मुद्रण उपकरण विनिर्माताओं के मूल उपकरण विनिर्माताओं को पूर्ण और सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध वस्तु के आयात पर छूट मिलेगी। यह अनुरोध है कि प्राधिकारी इस बहिष्करण का सटीक अर्थ स्पष्ट करें ताकि जाँच के बाद के चरण में किसी भी प्रकार के भ्रम से बचा जा सके।

ख) यह अनुरोध किया जाता है कि यह उत्पाद मुख्यतः एचपी, कैनन, ज़ेरॉक्स, ब्रदर, सैमसंग, लेक्समार्क आदि जैसी कुछ कंपनियों द्वारा निर्मित प्रिंटरों में उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ट्रिज मॉडल, प्रिंटर के ब्रांड और प्रकार/मॉडल के लिए विशिष्ट होता है। अतः, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह "मूल ब्रांड" को पीसीएन के मापदंडों में से एक के रूप में उपयोग करें।

ग) बताया गया एक अन्य महत्वपूर्ण मानदंड "प्रिंटिंग स्पीड" है। कार्ट्रिज की प्रति इकाई लागत "मूल ब्रांड" और संबंधित रेटेड "प्रिंटिंग स्पीड" के संयोजन के आधार पर काफी भिन्न होती है। तदनुसार, "प्रिंटिंग स्पीड" को पीसीएन के मापदंडों में से एक के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

घ) यह अनुरोध किया जाता है कि भारत को दो प्रकार के कार्ट्रिज निर्यात किए जा रहे हैं, (i) एकीकृत प्रकार और (ख) पृथक प्रकार। पृथक प्रकार में दो भाग शामिल हैं, 'टोनर कार्ट्रिज' और 'ड्रम यूनिट कार्ट्रिज'। संबद्ध जाँच के दायरा केवल 'ब्लैक टोनर कार्ट्रिज' है और 'ड्रम यूनिट कार्ट्रिज' पीयूसी के दायरे से बाहर है। प्राधिकारी से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है। यदि दोनों पीयूसी के दायरे में शामिल हैं, तो उनके लिए अलग-अलग पीसीएन तैयार किया जाना चाहिए।

ड.) यह भी अनुरोध किया गया है कि आवेदक मेसर्स इंद्रायणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड केवल एक असेंबलर है और केवल छोटे आकार के कार्ट्रिज ही बना सकता है।

च) आवेदक द्वारा निर्मित उत्पादों की श्रृंखला की जाँच के बाद, प्राधिकारी पीयूसी के दायरे को आवेदक द्वारा जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में वास्तव में उत्पादित उत्पादों तक सीमित कर सकते हैं।

छ) यह भी अनुरोध किया गया कि विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार, काले टोनर पाउडर से भरा काला टोनर पाउडर कार्ट्रिज पीयूसी है और खाली कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं है। यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि क्या खाली कार्ट्रिज (काले टोनर पाउडर के बिना कार्ट्रिज) संबद्ध जाँच के दायरे में आता है या नहीं।

ज) हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित के आधार पर पीसीएन मानदंड प्रस्तावित किए हैं:

i. प्रिंटिंग पेज हिल्ड/ प्रिंटिंग लाइफ/ इमेज डेंसिटी/ कार्ट्रिज की मुद्रण क्षमता / टोनर फिल लोड ।
ii. कार्ट्रिज का प्रकार अर्थात, ओईएम टोनर कार्ट्रिज, रिफिल्ड, संगत और पुनः निर्मित कार्ट्रिज की तुलना में अधिक महंगे होते हैं।
iii. मुद्रण गति (35 पीपीएम से कम - छोटा; 35-50 पीपीएम - मध्यम; 50 पीपीएम से अधिक - बड़ा) ।
iv. ब्रांड अनुकूलता (एचपी, कैनन, ब्रदर, ज़ेरॉक्स, सैमसंग, लेक्समार्क, और अन्य के लिए अलग-अलग श्रेणियाँ) ।
v. प्रिंटर का आकार, पुर्जे और मॉडल
vi. मेमोरी चिप के साथ और बिना एम्बेडेड मेमोरी चिप और टोनर कार्ट्रिज का तकनीकी उत्पादन।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा उपयोग के लिए आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे से बाहर है।
ख) ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा निर्मित और निर्यातित तथा उनके द्वारा आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
ग) प्रिंटर के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अपने ब्रांड नाम से आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
घ) संबद्ध वस्तु का दायरा "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है, जो सीबीयू और एसकेडी रूपों में भरा और खाली दोनों है और पीयूसी के दायरे में आता है। तथापि, सीकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज जाँच के दायरे में नहीं आता है।
ङ) ड्रम यूनिट कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे से बाहर है।
च) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह दावा कि आवेदक केवल छोटे आकार का कार्ट्रिज ही बना सकता है, निराधार है और इसलिए इसे अस्वीकार किया गया है।
छ) आवेदक ने जांच अवधि के दौरान वास्तव में बड़े आकार के कार्ट्रिज (26 सेमी से अधिक लंबाई और 8.5 सेमी से अधिक चौड़ाई) का उत्पादन और विक्रय किया है।
ज) घरेलू उद्योग में किसी भी प्रकार के कार्ट्रिज का उत्पादन करने की क्षमता है।
झ) तथाकथित छोटे आकार/नियमित आकार और नियमित प्रकार/मॉडल भारत में कार्ट्रिज की कुल खपत का 90% से अधिक हिस्सा हैं। छोटे आकार और बड़े आकार के कार्ट्रिज की निर्माण प्रक्रिया में कोई तकनीकी अंतर नहीं है। छोटे आकार और बड़े आकार के कार्ट्रिज दोनों तुलनीय हैं।
ञ) एचएसएन कोड को 01 अक्टूबर, 2024 को 84439959 से संशोधित कर 84439952 कर दिया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएस कोड केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
ट) पीसीएन पद्धति के लिए मापदंडों को अपनाने का हितबद्ध पक्षकारों का दावा निराधार और भ्रामक है।
ठ) मुद्रण क्षमता, आकार, पुर्जों, मॉडलों या मेमोरी चिप के आधार पर कार्ट्रिज की कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।
ड) नए मॉडल के प्रिंटर के कार्ट्रिज की कीमत में नियमित कार्ट्रिज की तुलना में अंतर, पीसीएन प्रस्तावित करने का आधार नहीं हो सकता।
ढ) पीसीएन के लिए प्रिंट स्पीड पर विचार करने का हितबद्ध पक्षकारों का दावा निराधार है क्योंकि यह प्रिंटर पर निर्भर करता है।

ण) वर्तमान मामले में पीसीएन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संबद्ध वस्तु एक कमोडिटी उत्पाद है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

8. प्राधिकारी ने इन मुद्दों पर आयोजित बैठक के अनुसरण में, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) के निर्माण पर हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जाँच की है, जो इस प्रकार है:

क) मुद्रण उपकरणों के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयात के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्रिंटरों के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम के अंतर्गत आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज, पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

ख) नियमित मेमोरी चिप वाले कार्ट्रिज और बिना मेमोरी चिप वाले कार्ट्रिज के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में कुल खपत में इनकी हिस्सेदारी 90% से अधिक है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि मेमोरी चिप वाले कार्ट्रिज और बिना मेमोरी चिप वाले कार्ट्रिज की कीमतों में कोई खास अंतर नहीं है।

ग) ड्रम यूनिट कार्ट्रिज के संदर्भ में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ड्रम यूनिट कार्ट्रिज, पीयूसी के दायरे से बाहर है।

घ) बड़े आकार के कार्ट्रिज को बाहर रखने के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आकार जाँच के दायरे में आते हैं।

ङ) एचएसएन कोड के संबंध में, यह नोट किया और सहमत हुआ गया है कि 1 अक्टूबर, 2024 से एचएसएन कोड को 84439959 से 84439952 में संशोधित करने पर विचार किया जाएगा। तथापि, चूँकि सीमा शुल्क वर्गीकरण (एचएस कोड) केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए उत्पाद के आयात का मूल्यांकन, चाहे उसका एचएस कोड वर्गीकरण कुछ भी हो, संबद्ध जाँच के प्रयोजनार्थ पीयूसी के आधार पर किया जाएगा।

च) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाए गए पीसीएन मापदंडों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कथित मापदंडों के परिणामस्वरूप लागत और कीमत में भारी अंतर होता है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि 90% से अधिक भारतीय खपत नियमित प्रकार के पीयूसी से होती है और इस दावे का किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा खंडन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि कथित मापदंडों के आधार पर कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। अत:, संबद्ध जाँच में पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. तत्पश्चात, प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार करने और उनकी जाँच के पश्चात, दिनांक 28 नवंबर, 2024 के समसंख्यक नोटिस द्वारा पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे को निम्नानुसार अधिसूचित किया है:

"विचाराधीन उत्पाद "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आकार और सीबीयू और एसकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज जाँच के दायरे में आते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दोनों प्रकार के कार्ट्रिज, अर्थात् मेमोरी चिप के साथ और बिना मेमोरी चिप के, जाँच के दायरे में आते हैं।

निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जाँच के दायरे में नहीं आते हैं:

क. कलर लेज़र टोनर कार्ट्रिज
ख. एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज (चेकों में मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशेष टोनर)
ग. इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज
घ. प्रिंटर के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम से आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज।
ड. ड्रम यूनिट कार्ट्रिज।

विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुद्रण के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 84 के अंतर्गत एचएस कोड 8443 99 59 (जिसे 01.10.2024 से संशोधित कर 8443 99 52 कर दिया गया है) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएस कोड केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर उसके वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना, विचार करेंगे।

4. किसी भी अपवर्जन (नों) की विशिष्टताएँ जाँच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारणों के अधीन हैं और प्राधिकारी जाँच के परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

10. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों और प्रश्नावली की जाँच के पश्चात् 4 जून, 2025 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। हितबद्ध पक्षकारों को अपने लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में प्रस्तुत अनुरोधों की जाँच की, जिनका सारांश रूप नीचे दिया गया है:

ग.4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या भारत को मशीनें निर्यात करने वाले मुद्रण उपकरणों के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) को संबद्ध वस्तु के आयात पर छूट मिलेगी।
ख. पीयूसी को जांच की शुरूआत में कुछ अपवादों के साथ *ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज* के रूप में परिभाषित किया गया था, किंतु बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी आकारों, सीबीयू और एसकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज और मेमोरी चिप वाले और बिना मेमोरी चिप वाले कार्ट्रिज को शामिल किया गया तथा ड्रम यूनिट कार्टिज को बाहर रखा गया।
ग. जांच शुरुआत के बाद ऐसा विस्तार पाटनरोधी नियमों के विपरीत है, जिसके अनुसार जांच शुरुआत में ही दायरा निश्चित होना चाहिए और दायरे को केवल सीमित करने की अनुमति है न कि उसमें विस्तार करने की।
घ. खाली कार्ट्रिज को शामिल करना केवल एक स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण विस्तार है। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में या पीयूसी/पीसीएन पद्धति संबंधी बैठक में खाली कार्ट्रिज को शामिल करने की कभी मांग नहीं की।
ङ. खाली कार्ट्रिज टोनर कार्ट्रिज से अलग उत्पाद हैं, क्योंकि टोनर से भरे जाने तक ये केवल घटक होते हैं और इसलिए नियम 2(घ) के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" नहीं माना जा सकता है।
च. कार्यात्मक समानता के बावजूद, सीकेडी रूप को छोड़कर एसकेडी और सीबीयू रूपों को शामिल करना, कथित तौर पर चयनात्मक, असंगत और व्यावसायिक रूप से प्रेरित है।

छ. आवेदक केवल छोटे आकार के कार्ट्रिज का निर्माण कर सकता है और पीयूसी का दायरा आवेदक द्वारा जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में वास्तव में उत्पादित उत्पादों तक ही सीमित होना चाहिए।

ज. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि घरेलू उद्योग सभी श्रेणियों, जैसे खाली कार्ट्रिज और चिप सहित या बिना चिप वाले कार्ट्रिज का विनिर्माण करता है।

झ. पीयूसी में वे प्रकार शामिल हैं जिनका घरेलू स्तर पर उत्पादन नहीं होता है और पूर्ववर्ती प्रथा के अनुरूप, केवल घरेलू स्तर पर उत्पादित प्रकारों को ही शामिल किया जाना चाहिए।

ञ. भारत को दो प्रकार के कार्ट्रिज निर्यात किए जाते हैं: (i) एकीकृत प्रकार और (ii) पृथक प्रकार। पृथक प्रकार में दो भाग शामिल हैं, 'टोनर कार्ट्रिज' और 'ड्रम यूनिट कार्ट्रिज' । यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि ड्रम यूनिट कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे से बाहर है।

ट. विभिन्न उत्पाद प्रकारों - चिप युक्त कार्ट्रिज, चिप रहित कार्ट्रिज, टोनर युक्त कार्ट्रिज और सीबीयू/एसकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज - की उपस्थिति को स्वीकार करने के बावजूद प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई है।

ठ. चिप, टोनर, पृष्ठ संख्या और इमेज डेंसिटी जैसे कारकों के कारण इन प्रकारों के बीच भारी कीमत अंतर मौजूद हैं।

ड. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित के आधार पर पीसीएन मापदंड प्रस्तावित किए हैं:

i. मुद्रण गति (35 पीपीएम से कम - छोटा; 35-50 पीपीएम - मध्यम; 50 पीपीएम से अधिक - बड़ा) ।
ii. ब्रांड संगतता (एचपी, कैनन, ब्रदर, ज़ेरॉक्स, सैमसंग, लेक्समार्क और अन्य के लिए अलग-अलग श्रेणियाँ) ।
iii. मुद्रण पृष्ठ संख्या / प्रिंटिंग लाइफ/ कार्ट्रिज की मुद्रण क्षमता / टोनर फिल लोड।
iv. प्रिंटर का आकार, भाग और मॉडल
v. एम्बेडेड मेमोरी चिप का तकनीकी उत्पादन।

ढ. कीमत अंतरों को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

ण. पीसीएन आधारित विभेदीकरण को अपनाए बिना चिप वाले और बिना चिप वाले कार्ट्रिज को शामिल करने से महत्वपूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक अंतरों की अनदेखी होती है, इसके परिणामस्वरूप क्षति और पाटन संबंधी गणनाओं में गड़बड़ी होती है।

त. खाली कार्ट्रिज, अपनी प्रकृति के अनुसार, टोनर से भरे जाने तक टोनर कार्ट्रिज के रूप में कार्य करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए उनका समावेश कृत्रिम रूप से क्षति के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और वास्तविक प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित नहीं करता है।

थ. डीजीटीआर की पूर्ववर्ती जाँचों में, केवल घरेलू रूप से उत्पादित प्रकारों को ही पीयूसी के दायरे में माना गया था और वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

ग.5. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पीयूसी ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज ("बीटीपीसी") है। निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जाँच के दायरे में शामिल नहीं हैं:

(क) कलर लेजर टोनर कार्ट्रिज;
(ख) एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज;
(ग) इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज; और

(घ) मुद्रण उपकरणों के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) द्वारा उपयोग के लिए आयातित ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज।

ख. संबद्ध वस्तु का दायरा ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज है, जिसमें परिभाषा के अनुसार, भरे हुए और खाली दोनों कार्ट्रिज शामिल हैं। ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज का टोनर घटक केवल एक उपभोज्य है और यह यथापरिभाषित पीयूसी के दायरे को प्रभावित नहीं करता है। तथापि, सीकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज को जाँच के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि संबद्ध वस्तु के पुर्जों और घटकों को अप्रत्यक्ष रूप से पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल किए जाने की संभावना से बचा जा सके। दूसरे शब्दों में, केवल सीबीयू और एसकेडी रूपों में भरे और खाली दोनों प्रकार के ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज, पीयूसी के दायरे में शामिल हैं।

ग. पीयूसी की परिभाषा या तथ्यों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि खाली कार्ट्रिज को कभी भी पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया हो। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। प्राधिकारी ने अंतिम पीयूसी/पीसीएन सूचना के माध्यम से केवल यह स्पष्ट किया है कि सीबीयू और एसकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे में शामिल हैं और सीकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज को इससे बाहर रखा गया है। प्राधिकारी ने रॉकर ब्रेकर आदि जैसी अनेक जाँचों में भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

घ. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि खाली कार्ट्रिज, चाहे सीबीयू या एसकेडी रूप में हों, जाँच अवधि के दौरान या तत्काल पिछले दो वर्षों में आयात नहीं किए गए थे। अत:, इस संबंध में क्षति संबंधी जानकारी को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है। यह भी अनुरोध किया गया है कि ऐसे मामले में, खाली कार्ट्रिज को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने से शुल्क का प्रवंचन होगा।

ड. इस तथ्य के अलावा कि खाली कार्ट्रिज पूरी तरह से पीयूसी का हिस्सा थे, यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई ठोस कारण नहीं दिए गए हैं जो खाली कार्ट्रिज को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने को उचित ठहरा सकें।

च. इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि खाली कार्ट्रिज को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने से शुल्क का प्रवंचन होगा। प्राधिकारी ने पिछली अनेक जाँचों में, उन उत्पाद प्रकारों को भी जाँच के दायरे में शामिल किया है जिनका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा जाँच अवधि के दौरान नहीं किया गया था, इस आधार पर कि घरेलू उद्योग के पास इनका निर्माण करने की क्षमता थी और प्रवंचना की संभावना से बचने के लिए दोनों उत्पाद तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत कुछ मामलों में सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल, व्हील लोडर, सेल्फ अधेसिव विनाइल, एसडीएच उपकरण आदि शामिल थे।

छ. बड़े आकार के कार्ट्रिज के संबंध में, आवेदक ने वास्तव में जाँच अवधि के दौरान बड़े आकार के कार्ट्रिज (26 सेमी से अधिक लंबाई और 8.5 सेमी से अधिक चौड़ाई) का उत्पादन और बिक्री की है। घरेलू उद्योग में किसी भी प्रकार के कार्ट्रिज का उत्पादन करने की क्षमता है। छोटे आकार और बड़े आकार के कार्ट्रिज की निर्माण प्रक्रिया में कोई तकनीकी अंतर नहीं है। इसके अलावा, तथाकथित छोटे आकार/नियमित आकार भारत में कार्ट्रिज की कुल खपत का 90% से अधिक हिस्सा हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने हमारे दावे का विरोध नहीं किया है। बैठक के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिखाया गया कार्ट्रिज जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात भी नहीं किया गया था।

ज. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्रिंटर के ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) द्वारा अपने ब्रांड नाम से आयातित ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज, जो केवल उनके अपने ब्रांड के प्रिंटर में फिटमेंट के लिए डिज़ाइन और निर्मित हैं, जांच के दायरे से बाहर हैं। यह अनुरोध किया गया है कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ब्लैक टोनर पाउडर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में भी लगभग इसी तरह का अपवर्जन प्रदान किया गया था। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

झ. चिप्स को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं रखा गया था जैसा कि जांच शुरूआत सूचना में प्रदान दी गई पीयूसी की परिभाषा से स्पष्ट है। चिप वाले और बिना चिप वाले कार्ट्रिज एक दूसरे के

स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनकी अनिवार्य भौतिक विशेषताएँ, निर्माण प्रक्रिया और अंतिम उपयोग समान होते हैं। ये भारतीय बाजार में सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति आँकड़ों में शामिल होते हैं। चिप वाले और बिना चिप वाले कार्ट्रिज के बीच अंतर मूलतः एक व्यावसायिक भिन्नता है न कि कोई तकनीकी अंतर और इसके लिए पीयूसी के दायरे में अलग वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ञ. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में तर्क दिया है कि पीसीएन मुद्दे पर 18.11.2024 को आयोजित पीयूसी/पीसीएन बैठक के दौरान निर्णायक रूप से निर्णय लिया गया था, जिसके निर्णय से सभी भागीदार हितबद्ध पक्षकारों को अवगत करा दिया गया था। यह रिकार्ड में दर्ज है कि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क किसी भी साक्ष्य या तर्क द्वारा समर्थित नहीं थे और इसलिए यह निर्णय लिया गया। इस पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि ऐसा करने से जाँच प्रक्रिया पुन: शुरू हो जाएगी। घरेलू उद्योग ने चिप की उपस्थिति के आधार पर अलग पीसीएन बनाने का विरोध किया क्योंकि इस तरह के पृथक्करण से गलत निष्कर्ष निकलते हैं।

ट. *चीन जन. गण. और चीनी ताइपे के मूल के अथवा वहां से निर्यातित यूएसबी ड्राइव के आयात से संबंधित पाटनरोधी* जाँच में अंतिम जांच परिणामों सहित, विगत जाँचों में प्राधिकारी ने केवल कुछ घटकों या सहायक उपकरणों की अनुपस्थिति के कारण उत्पादों को बाहर नहीं रखा है, जहाँ अनिवार्य भौतिक विशेषताएँ, कार्य और अंतिम उपयोग समान रहे हैं। कार्ट्रिज में टोनर पाउडर या चिप की अनुपस्थिति पीयूसी के दायरे से अपवर्जन को उचित नहीं ठहराती है।

ठ. *चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मॉड्यूल या पैनल में असेंबल किए गए अथवा नहीं, सौर सेल के आयात से संबंधित पाटनरोधी* जाँच जैसी पूर्ववर्ती जाँचों में, प्राधिकारी ने पीयूसी की एक व्यापक परिभाषा अपनाई है, जिसमें मूल विवरण को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, चाहे उनमें मामूली अंतर हो या न हो। वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

ड. प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार, पीसीएन पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है:

i) घरेलू उद्योग ने पीसीएन का सुझाव दिया है;
ii) विभिन्न प्रकार/विशेषताओं वाली संबद्ध वस्तु की लागत और/या कीमत निर्धारण में वास्तविक अंतर होना चाहिए;
iii) हितबद्ध पक्षकार लागत/कीमत निर्धारण में वास्तविक अंतर प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करते हैं;
iv) पीसीएन मापदंडों को आयात आंकड़ों से प्रति-सत्यापित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, पीसीएन मापदंडों को आयात आंकड़ों से प्रति-सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकांश सौदों में आयात विवरण में "संगत कार्ट्रिज/टोनर कार्ट्रिज, आदि" का उल्लेख है। इस बात की पूरी संभावना है कि उत्पादक/निर्यातक शून्य या कम शुल्क पाने के लिए गड़बड़ी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने ब्लैक टोनर पाउडर की पाटनरोधी जाँच में किया था;
v) कीमत में अंतर पीसीएन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक मापदंड के कारण होगा। हितबद्ध पक्षकारों को यह सिद्ध करना होगा कि विभिन्न प्रकारों/मॉडलों की उत्पादन लागत में अंतर उत्पाद विशेषताओं/प्रस्तावित पीसीएन मापदंडों में अंतर के कारण है और लागत में अंतर किस सीमा तक समयावधि के कारण है। तथापि, वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है;
vi) गैर-नियमित ग्रेड/प्रकारों का पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, भारतीय बाजार में खपत का 90% से अधिक हिस्सा नियमित प्रकार/मॉडल का है।

ढ. घरेलू उद्योग ने प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पीसीएन मानदंड पर निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं और अपने दावे के समर्थन में विभिन्न पूर्व जाँचों का भी उल्लेख किया है:

i) संबद्ध वस्तु (जिसे सामान्यतः "संगत टोनर कार्ट्रिज" कहा जाता है) की सामान्य मुद्रण क्षमता 1,500 पृष्ठों से 30,000 पृष्ठों तक होती है। 3,000 पृष्ठों तक की मुद्रण क्षमता वाले कार्ट्रिज घरेलू बाजार में कुल खपत का लगभग 90% से अधिक हिस्सा लेते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने हमारे दावे का विरोध नहीं किया है। मुद्रण क्षमता के आधार पर कार्ट्रिज की कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।

ii) आकार/पुर्जों और मॉडलों के आधार पर कार्ट्रिज की कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। छोटे आकार के कार्ट्रिज घरेलू बाजार में कुल खपत का 90% से अधिक हिस्सा लेते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने हमारे दावे का विरोध नहीं किया है।

iii) मेमोरी चिप या बिना मेमोरी चिप वाले कार्ट्रिज के आधार पर कार्ट्रिज की कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। नियमित मेमोरी चिप वाले या बिना मेमोरी चिप वाले कार्ट्रिज घरेलू बाजार में कुल खपत का 90% से अधिक हिस्सा बनते हैं।

iv) भारत में लेज़र प्रिंटर लगभग 1994 में शुरू किए गए थे। पिछले 30 वर्षों में लेज़र प्रिंटिंग में प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति और विकास हुआ है, जिसका अंततः संबंधित वस्तु की प्रौद्योगिकी पर प्रभाव पड़ा है। निरंतर तकनीकी विकास के कारण प्रिंटर के नए मॉडल के लिए कार्ट्रिज की कीमत शुरुआत में अधिक होती है, किंतु प्रिंटर की शुरूआत होने की तारीख से छह महीने के भीतर यह कीमत कम हो जाती है। तदनुसार, नियमित कार्ट्रिज की तुलना में नए मॉडल के प्रिंटर के कार्ट्रिज की कीमत में अंतर पीसीएन प्रस्तावित करने का आधार नहीं हो सकता।

v) कार्ट्रिज की अपनी स्वयं की मुद्रण गति नहीं होती है।

ग.6. प्राधिकारी द्वारा जाँच

13. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के निर्माण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जाँच की है।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की शुरूआत के समय पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2. विचाराधीन उत्पाद "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)। निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जांच के दायरे में नहीं आते हैं:

क. कलर लेज़र टोनर कार्ट्रिज
ख. एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज (चेकों में छपाई के लिए प्रयुक्त विशेष टोनर)
ग. इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज
घ. मुद्रण उपकरणों के मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज

3. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुद्रण के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 84 के अंतर्गत एचएस कोड: 84439959 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएस कोड केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर उसके वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना, विचार करेंगे।

15. हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की एनसीवी के परिचालन की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया था। टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की तारीख 5 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई थी। प्राधिकारी को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इसके बाद,

प्राधिकारी ने 18 नवंबर, 2024 को पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी एक बैठक आयोजित की।

16. तत्पश्चात, प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार करने के पश्चात, 28 नवंबर, 2024 के समसंख्यक पत्र द्वारा पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे को निम्नानुसार अधिसूचित किया:

"विचाराधीन उत्पाद "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आकार और सीबीयू और एसकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज जाँच के दायरे में शामिल हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्ट्रिज, अर्थात् मेमोरी चिप सहित और बिना मेमोरी चिप वाले, जाँच के दायरे में शामिल हैं।

निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जाँच के दायरे में शामिल नहीं हैं:

क. कलर लेज़र टोनर कार्ट्रिज
ख. एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज (चेकों में मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशेष टोनर)
ग. इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज
घ. प्रिंटर के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम से आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज।
ङ. ड्रम यूनिट कार्ट्रिज।

विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुद्रण के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 84 के अंतर्गत एचएस कोड 8443 99 59 (जिसे 01.10.2024 से संशोधित कर 8443 99 52 कर दिया गया है) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएस कोड केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, वर्गीकरण पर विचार किए बिना विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर विचार करेंगे।

4. किसी भी अपवर्जन (नों) का विवरण जाँच के दौरान प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारणों के अधीन है और प्राधिकारी जाँच के परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

17. हितबद्ध पक्षकारों ने इस स्पष्टीकरण का अनुरोध किया था कि क्या खाली कार्ट्रिज को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में शामिल किया गया है, क्योंकि आवेदन और जांच शुरूआत अधिसूचना में यथापरिभाषित पीयूसी "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है और घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में खाली कार्ट्रिज को शामिल करने के संबंध में कोई संदर्भ नहीं दिया था।

18. पीयूसी/पीसीएन पद्धति बैठक और मौखिक सुनवाई के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि खाली कार्ट्रिज को इस प्रकार शामिल करना जाँच के दायरे का अनुचित विस्तार है। यह तर्क दिया गया कि खाली कार्ट्रिज, टोनर कार्ट्रिज से अलग उत्पाद हैं और टोनर से भरे जाने तक केवल घटक होते हैं, इसलिए इन्हें नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत "समान वस्तु" नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में खाली कार्ट्रिज को शामिल करने की मांग नहीं की थी और इसलिए, उन्होंने पीयूसी के दायरे में खाली कार्ट्रिज को शामिल करने का विरोध किया है।

19. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु के दायरे में सीबीयू और एसकेडी रूपों में भरे हुए और खाली दोनों प्रकार के ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज शामिल हैं। यह अनुरोध किया गया था कि पीयूसी को "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे विशेष रूप से भरे हुए कार्ट्रिज तक सीमित नहीं किया गया है। पीयूसी, अर्थात ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज,

इसके सभी रूपों को शामिल करता है, जिसमें भरे हुए और खाली कार्ट्रिज दोनों शामिल हैं। अत:, यह तर्क देना गलत होगा कि खाली कार्ट्रिज को जाँच की शुरूआत के दायरे में शामिल नहीं किया गया था। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि सामान्यतः सीबीयू/एसकेडी/असेम्बल रूपों में खाली कार्ट्रिज का भारत में आयात नहीं किया जाता है और इसलिए, पीयूसी के दायरे से खाली कार्ट्रिज को बाहर करने से शुल्क की प्रवंचना होगी क्योंकि खाली कार्ट्रिज से भरे कार्ट्रिज में मूल्यवर्धन नगण्य है। साथ ही, शुल्क का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यह भी अनुरोध किया गया है कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, सीकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज को पीयूसी के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है ताकि संबद्ध वस्तु के पुर्जों और घटकों को अप्रत्यक्ष रूप से शामिल न किया जा सके।

20. पीयूसी के दायरे से संबंधित मामले की विस्तार से जाँच की गई है। यह नोट किया जाता है कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट करने के अनुरोध के संबंध में कि क्या संबद्ध वस्तु का दायरा भरे हुए और खाली दोनों कार्ट्रिज को कवर करता है, प्राधिकारी ने 28 नवंबर, 2024 की पीयूसी/पीसीएन अधिसूचना में स्पष्ट किया था कि सभी आकार के कार्ट्रिज के साथ-साथ सीबीयू और एसकेडी रूप में खाली कार्ट्रिज भी जाँच के दायरे में शामिल हैं।

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के दायरे के संबंध में प्रस्तुत तर्कों की नीचे पुन: जांच की गई है।

22. प्राधिकारी का अवलोकन है कि सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 5 में यह अधिदेशित है कि घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर जाँच की शुरूआत की जाएगी और यह कि ऐसा आवेदन पाटन, क्षति और ऐसे पाटित आयातों तथा कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा। प्राधिकारी 28 नवंबर, 2024 को अधिसूचित पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे के बिंदु 4 का स्मरण करते हैं, जिसमें बताया गया है कि *"किसी भी अपवर्जन (नों) की विशिष्टताएँ जाँच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारिणों के अधीन हैं और प्राधिकारी जाँच के परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।"* तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि जाँच के दौरान, रिकार्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों और जाँच के समग्र परिणाम के आधार पर उनके पास विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे का निर्धारण करने का विवेकाधिकार है। न्याय और निष्पक्षता के हित में जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों पर आगे विचार किया जा रहा है।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ की प्रथम अनुसूची की व्याख्या हेतु सामान्य नियमावली के नियम 2(क) में निम्नलिखित प्रावधान है:

> *"किसी शीर्षक में किसी वस्तु के संदर्भ में उस अपूर्ण या अधूरी वस्तु का संदर्भ सम्मिलित माना जाएगा, बशर्ते कि जैसा प्रस्तुत किया गया है, अपूर्ण या अधूरी वस्तु में पूर्ण या तैयार वस्तु का अनिवार्य गुण मौजूद हो। इसमें उस पूर्ण या तैयार वस्तु (या इस नियम के आधार पर पूर्ण या तैयार के रूप में वर्गीकृत होने वाली) का संदर्भ भी सम्मिलित माना जाएगा, जो असंयोजित या गैर-संयोजित रूप में प्रस्तुत की गई हो।"*

24. इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु अपूर्ण या अपूर्ण रूप में या असंयोजित या गैर-संयोजित रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो भी उसे आयातित पूर्ण/तैयार/संयोजित उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि अपूर्ण या अधूरी या असंयोजित या गैर-संयोजित उत्पाद में पूर्ण/तैयार/संयोजित उत्पाद की अनिवार्य विशेषताएं हों।

25. रिकार्ड में उपलब्ध तर्कों की जाँच के पश्चात्, यह नोट किया जाता है कि पीयूसी का दायरा "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है। न तो घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में और न ही जाँच शुरूआत की सूचना में, खाली कार्ट्रिज को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया था। अत:, यह तर्क कि पीयूसी के दायरे में खाली कार्ट्रिज को शामिल करने से जाँच के दायरे का विस्तार होगा, न तो तार्किक रूप से और न ही तथ्यात्मक रूप से सही है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क में तथ्य देखते हैं कि यथा परिभाषित पीयूसी उसे किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं करती है। अत:, तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीयूसी "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" में भरे हुए और खाली कार्ट्रिज सहित उसके सभी रूप शामिल हैं।

26. पीयूसी के दायरे के विस्तार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पीयूसी के दायरे का विस्तार आवेदन और जाँच शुरूआत अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के दायरे से आगे नहीं किया है क्योंकि खाली कार्ट्रिज केवल ऐसे रूप हैं जिनमें पीयूसी को भारत में आयात किया जा सकता है। यह प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया और जाँच के उद्देश्य के अनुरूप भी है।

27. कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर स्पष्टीकरण माँगा था कि क्या *'ड्रम यूनिट कार्ट्रिज'* विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में पुष्टि की है कि ड्रम यूनिट कार्ट्रिज इस दायरे से बाहर हैं। इसके मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि ड्रम यूनिट कार्ट्रिज विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर हैं।

28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि आवेदक केवल छोटे आकार के कार्ट्रिज ही बना सकते हैं, प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि आवेदक ने वास्तव में जाँच अवधि के दौरान बड़े आकार के कार्ट्रिज (26 सेमी से अधिक लंबाई और 8.5 सेमी से अधिक चौड़ाई) का उत्पादन और बिक्री की है। कार्यस्थल पर सत्यापन के दौरान यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग में किसी भी प्रकार के कार्ट्रिज का उत्पादन करने की क्षमता है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि छोटे आकार और बड़े आकार के कार्ट्रिज की निर्माण प्रक्रिया में कोई तकनीकी अंतर नहीं है। छोटे आकार और बड़े आकार के कार्ट्रिज, दोनों तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के अधिसूचित दायरे के (घ) में उल्लिखित अपवर्जन में संशोधन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस अनुरोध को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया है। इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जाता है।

29. हितबद्ध पक्षकारों ने समान रूप से तुलना/पीसीएन पद्धति के प्रयोजनार्थ कतिपय मानदंडों को अपनाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रस्तावित प्रत्येक मानदंड के सापेक्ष लागत/कीमत में अंतर को साक्ष्य के साथ प्रदर्शित नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि विभिन्न प्रकारों/मॉडलों की उत्पादन लागत में अंतर किस सीमा तक उत्पाद विशेषताओं/प्रस्तावित पीसीएन मानदंडों में अंतर के कारण है और लागत में अंतर किस सीमा तक समयावधि के कारण है। यह भी नोट किया गया है कि पीसीएन मानदंडों का आयात आंकड़ों से प्रति-सत्यापन नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश सौदों में आयात विवरण में "संगत कार्ट्रिज/टोनर कार्ट्रिज, आदि" का उल्लेख है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि पीयूसी एक कमोडिटी उत्पाद है, जहां नियमित प्रकार/मॉडल भारतीय बाजार में खपत का 90% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।

30. उपरोक्त को देखते हुए, और सीमा शुल्क टैरिफ की पहली अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के नियम 2 (क) को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानता है कि इस जांच के प्रयोजनों के लिए पीसीएन तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पीयूसी के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"विचाराधीन उत्पाद "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है)। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आकारों और सभी रूपों में ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज और साथ ही खाली कार्ट्रिज जाँच के दायरे में शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दोनों कार्ट्रिज, अर्थात् मेमोरी चिप के साथ और बिना मेमोरी चिप के, जाँच के दायरे में शामिल हैं।

निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जाँच के दायरे में शामिल नहीं हैं:

क. कलर लेज़र टोनर कार्ट्रिज,
ख. एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज (चेकों में छपाई के लिए प्रयुक्त विशेष टोनर),
ग. इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज,
घ. प्रिंटर के ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम से आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज और
ङ. ड्रम यूनिट कार्ट्रिज।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एकल आधार पर घटक/पुर्जे पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुद्रण के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 84 के अंतर्गत एचएस कोड 8443 99 59 (जिसे 01.10.2024 से संशोधित कर 8443 99 52 कर दिया गया है) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएस कोड केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर, उसके वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना, विचार करेंगे।"

31. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:-

''समान वस्तु'' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

32. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित पीयूसी, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं, नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित पीयूसी के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित कुल घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
ख. देश में अनेक अन्य उत्पादक हैं, जैसा कि जीईएम पोर्टल से प्रमाणित है, जिनके उत्पादन को घरेलू उद्योग के निर्धारण के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

ग. उत्पादन और मांग में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी, भारतीय उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम है, जो कि कुल उत्पादन के 25% से भी कम है।

घ. आवेदक उद्योग को घरेलू उद्योग नहीं माना जाएगा क्योंकि यह केवल एक असेंबलर है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारत में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं, अर्थात् मेसर्स इंद्रायणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक) और मेसर्स डीआईसी टेकवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अन्य उत्पादक ने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। आवेदक का भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है।

ख. आवेदक ने जांच अवधि और पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान, वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।

ग. नियम 5(3) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में योग्य है।

घ. कानून असेंबली संचालन के माध्यम से उत्पादन करने वाले विनिर्माताओं और पूर्ण आंतरिक विनिर्माण वाले निर्माताओं के बीच अंतर नहीं करता है। आवेदक के संचालन में मूल्यवर्धन लगभग *** प्रतिशत है।

ङ. घरेलू उद्योग एक एमएसएमई (सूक्ष्म) कंपनी है जिसकी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर 4.99/5 रेटिंग है और उसके पास एक वैध कारखाना लाइसेंस है।

च. अनेक अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी के बारे में दावे निराधार हैं, क्योंकि उनके उत्पादन, पंजीकरण या कारखाने के विवरण का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

छ. किसी अन्य कंपनी ने प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य सहित कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें यह दावा किया गया हो कि वे संबद्ध वस्तु का विनिर्माण कर रहे हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. एडी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

36. यह आवेदन मेसर्स इंद्रायणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएसएमई) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि भारत में एक और उत्पादक अर्थात मेसर्स डीआईसी टेकवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।

37. यह नोट किया गया है कि आवेदक ने जांच अवधि और वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।

38. इस आधार पर कि आवेदक संबद्ध वस्तु का निर्माण असेंबली कार्यों के माध्यम से करता है, घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने के लिए आवेदक की पात्रता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए

गए मुद्दे के बारे में, यह नोट किया जाता है कि लागू कानून सम्मिलित कार्यों में लगे विनिर्माता और पूर्ण आंतरिक विनिर्माण करने वाले विनिर्माता के बीच न तो कोई प्रतिबंध लगाता है और न ही कोई अंतर करता है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि आवेदक के पास एक वैध कारखाना लाइसेंस है।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि देश में अनेक अन्य उत्पादक हैं जिनके उत्पादन को घरेलू उद्योग के निर्धारण के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जाना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनमें से कुछ उत्पादक आयातक भी हैं, जैसा कि आयात आंकड़ों के विश्लेषण से प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि केवल जीईएम में पंजीकरण का अर्थ यह नहीं है कि कोई विशेष कंपनी विनिर्माता है, जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि जीईएम में पंजीकृत कुछ कंपनियां आयातक के रूप में भी दिखाई देती हैं। यह भी नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इन अन्य उत्पादकों के उत्पादन, कारखाने के पते, पंजीकरण आदि के विवरण के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, अन्य किसी भी उत्पादक ने प्राधिकारी के समक्ष यह दावा करते हुए कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है कि वे संबद्ध वस्तु का विनिर्माण कर रहे हैं।

40. अतः, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. गोपनीयता के दावों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने गोपनीयता का अत्यधिक और बिना किसी उचित औचित्य के दावा किया है, जिससे हितबद्ध पक्षकारों की अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता सीमित हो गई है।
ख. यह तर्क दिया गया है कि उत्पादन क्षमता, उत्पादन लागत और संपूर्ण सौदावार आयात आंकड़ों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के बतायी नहीं गई है।
ग. याचिका के अगोपनीय अंश और बाद में प्रस्तुत अनुरोधों में सार्थक समझ और खंडन के लिए पर्याप्त विवरण का अभाव है।
घ. आंकड़ों के पृथक्करण के लिए प्रयुक्त पद्धति गोपनीय प्रकृति की नहीं है और इसका प्रकटन किया जाना आवश्यक है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने शेयरधारकों के नाम, उत्पादों की सूची, व्यापार चैनल आदि जैसी अनिवार्य सूचनाओं की गोपनीयता का दावा किया है।
ख. घरेलू उद्योग ने सूचना की अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है और आवेदन के एनसीवी में पर्याप्त जानकारी का प्रकटन किया है जिससे अनुरोध के गोपनीय अंश में निहित सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके।
ग. आवेदक ने सूचना की गोपनीयता के अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उचित कारण भी प्रस्तुत किए हैं।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

43. प्राधिकारी ने निरीक्षण के प्रयोजनार्थ विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के अगोपनीय अंश (एनसीवी) सभी संबंधित पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से परिचालित किए हैं।

44. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

45. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की, संगत समझी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत रूप से जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

च. विविध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वित्त विधेयक, 2024 में शुरू किए गए 10% के मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) पर जाँच शुरू करने से पहले मार्जिन का अनुमान लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया है कि यह दर सीधे तौर पर पहुँच मूल्य की गणना और परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन के आकलन को प्रभावित करती है।

ख. हितबद्ध पक्षकारों ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि आवेदक ने यह प्रकटन नहीं किया कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएसएन कोड 1 अक्टूबर, 2024 को 8443 99 59 से संशोधित कर 8443 99 52 कर दिया गया था।

ग. यह तर्क दिया गया है कि इस त्रुटि से आयात आंकड़ों की रूपरेखा की सटीकता प्रभावित हो सकती है और जाँच रिकॉर्ड में संभावित गलत वर्गीकरण हो सकता है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वित्त विधेयक, 2024 में शुरू किए गए 10% मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) जाँच अवधि के बाद लगाया गया था और इसलिए, इसे जाँच शुरूआत से पहले या बाद में क्षति मार्जिन के आकलन में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह बताया गया है कि केवल जाँच अवधि के दौरान लागू बीसीडी पर ही विचार किया जाना चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएसएन कोड 1 अक्टूबर, 2024 को 8443 99 59 से संशोधित कर 8443 99 52 कर दिया गया था और प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे इसे अपने जांच परिणामों में दर्ज कर लें। यह दोहराया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएस कोड केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है और यह कि वर्गीकरण पर विचार किए बिना आयातों पर विचार किया जाना चाहिए।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

48. मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 10% की बीसीडी वित्त विधेयक, 2024 में, अर्थात् जाँच अवधि के बाद, शुरू की गई थी। तदनुसार, इसे जाँच शुरूआत से पहले या बाद में क्षति मार्जिन के आकलन में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस जाँच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने केवल जाँच अवधि के दौरान लागू बीसीडी की दर को ही ध्यान में रखा है, जो 0 (शून्य) प्रतिशत थी।

49. दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी, एचएसएन कोड को 8443 99 59 से 8443 99 52 में संशोधित किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह परिवर्तन अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से दर्शाया जाएगा। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण/एचएसएन कोड केवल सांकेतिक है और इसका पीयूसी के दायरे पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

50. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया पाटन मार्जिन अत्यधिक विकृत है और यह संबद्ध देश के निर्यातकों के वास्तविक कीमत निर्धारण और लागत संरचना को प्रदर्शित नहीं करता है।

ख. उन्होंने यह तर्क दिया है कि 11 दिसंबर, 2016 को चीन जन. गण. के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश संबंधी प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) की समाप्ति का अर्थ है कि भारत के पास अब विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत चीन के विरुद्ध पाटनरोधी जाँच में गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था (एनएमई) पद्धति लागू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। एनएमई पद्धति का उपयोग करके सामान्य मूल्य की कोई भी गणना पाटनरोधी करार और अन्य सम्मिलित करारों के साथ असंगत होगी। जाँचकर्ता प्राधिकारी का विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का दायित्व है।

ग. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त परिकलित सामान्य मूल्य अनुचित है, क्योंकि यह भारतीय लागत आँकड़ों पर आधारित है, न कि संबद्ध देश के वास्तविक आँकड़ों पर, जिससे यह प्रचलित बाज़ार स्थितियों को प्रदर्शित करने में विफल रहता है।

घ. हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि डीजीसीआई एंड एस के आँकड़ों से प्राप्त निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, क्योंकि इसमें ऐसे सौदे शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं हैं, जिससे पाटन मार्जिन बढ़ जाता है।

ङ. माल भाड़ा, बीमा और अन्य निर्यात पश्चात व्ययों के लिए निर्यात कीमत में समायोजन सही ढंग से लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कारखानाद्वार निर्यात कीमत में विकृत आई है।

च. उन्होंने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को घरेलू उद्योग के आंकड़ों के परिकलित मूल्यों के बजाय सहयोगी निर्यातकों या विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोतों से वास्तविक सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाए।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए, क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई अनेक पाटनरोधी जाँचों में इसे ऐसा ही माना गया है, जब तक कि संबंधित फर्म/उत्पादक/निर्यातक पैरा 8(2) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर इस धारणा का खंडन करने में सक्षम न हों।

ख. चीनी फर्मों के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन जन.गण. में घरेलू कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा क्योंकि ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

ग. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार किया गया है।

घ. निर्मित सामान्य मूल्य और समायोजित निर्यात कीमत के बीच तुलना से पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ङ. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की अविश्वसनीयता के दावे निराधार हैं, क्योंकि प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच में इन आंकड़ों का लगातार उपयोग किया जाता है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

<u>सामान्य मूल्य</u>

52. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है: जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित

नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावाआयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य , के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

53. यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (ए) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान, परिग्रहण प्रोटोकॉल के 15 (ए) (i) के तहत दायित्व के साथ पढ़ा जाए, तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/आंकड़ों के माध्यम से नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा करना आवश्यक है।

54. चूंकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रश्नावली के उत्तर पर अनुलग्नक । के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

7."गैरबाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल - करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश

केबाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैंया किसी अन्य उचित , आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित होंसमय-सीमा के भीतर , कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2)यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्याः (क) *ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;* (ख) *ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;* (ग) *ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है (घ)विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।*

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

55. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित कीमत के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी भी उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान वस्तु के लिए

भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I के तहत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

56. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम और द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना के लिए पक्षकारों द्वारा कोई जानकारी/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त जानकारी/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी प्रथम या द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने तृतीय पद्धति, अर्थात् जांच अवधि के दौरान भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर किया है।

<u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

i. <u>मेसर्स झुहाई झोंगकाई इमेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत</u>

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स झुहाई झोंगकाई इमेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को सीधे *** नग निर्यात किए थे। निर्माता/निर्यातक ने प्रत्युत्तर दाखिल कर दिया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) निर्धारित करने के लिए जानकारी प्रदान की है। डेस्क सत्यापन के बाद, समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य मदों के खर्चों को उनके निर्यात मूल्यों से घटा दिया गया है। उपरोक्त खर्चों के समायोजन के बाद, निवल कारखानागत निर्यात कीमत प्रस्तावित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

ii. <u>मेसर्स झेजियांग झुओताई प्रिंटर कॉज़्यूमेबल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत</u>

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स झेजियांग झुओताई प्रिंटर कॉज़्यूमेबल्स कंपनी लिमिटेड ने असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को सीधे *** नग निर्यात किए थे। उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर दायर कर दिया है और एनईपी निर्धारित करने के लिए सूचना उपलब्ध करा दी है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य मदों पर होने वाले व्यय को उनके निर्यात कीमतों से कम कर दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद, निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत का प्रस्ताव किया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

iii. <u>मेसर्स झुहाई ओरिटोन इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और मेसर्स शंघाई ओरिंक इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) के लिए निर्यात कीमत</u>

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स झुहाई ओरिटोन इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड ने *** नग सीधे असंबद्ध भारतीय ग्राहक को और *** नग संबद्ध व्यापारी अर्थात् मेसर्स शंघाई ओरिंक इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड के माध्यम से असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को निर्यात किए थे। उत्पादक और संबद्ध व्यापारी दोनों ने अपने उत्तर दायर कर दिए हैं और एनईपी निर्धारित करने के लिए सूचना उपलब्ध करा दी है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य मदों पर होने वाले व्यय को उनके निर्यात कीमतों से कम कर दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद, भारित औसत निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत का प्रस्ताव किया गया है और इसका नीचे पाटन मार्जिन तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

60. यह उल्लेखनीय है कि नाइनस्टार समूह ने अपनी विभिन्न उत्पादक/निर्यातक कंपनियों के माध्यम से निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर अनुरोध किए हैं। ये संबंधित समूह कंपनियाँ, अर्थात् उनके उत्पादक और निर्यातक, इस प्रकार हैं:

संबंधित उत्पादक/निर्यातक	संबंधित निर्यातक/व्यापारी
मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड,	मेसर्स नाइनस्टार इमेज टेक लिमिटेड और मेसर्स झुहाई एससीसी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	मेसर्स मैक्सवेल इमेज लिमिटेड
मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और मेसर्स जिनरुइयांग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

iv. <u>मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक), मेसर्स नाइनस्टार इमेज टेक लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) और मेसर्स झुहाई एससीसी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) के लिए निर्यात कीमत</u>

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने संबंधित व्यापारियों, अर्थात् मेसर्स नाइनस्टार इमेज टेक लिमिटेड और मेसर्स झुहाई एससीसी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को *** नग निर्यात किए थे। उत्पादक और संबंधित व्यापारियों, दोनों ने अपने-अपने उत्तर के अनुरोध कर दिए हैं और एनईपी निर्धारित करने के लिए सूचना प्रदान की है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य मदों के व्यय को उनके निर्यात मूल्यों से घटा दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद, भारित औसत निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत प्रस्तावित किया गया है और इसक नीचे पाटन मार्जिन तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

v. <u>मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और मेसर्स मैक्सवेल इमेज लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) के लिए निर्यात मूल्य</u>

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने संबंधित व्यापारियों, अर्थात् मेसर्स मैक्सवेल इमेज लिमिटेड, के माध्यम से असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को *** नग निर्यात किए थे। उत्पादक और संबंधित व्यापारी, दोनों ने अपने-अपने उत्तर में अनुरोध किए हैं और एनईपी निर्धारित करने के लिए सूचना प्रदान की है। डेस्क सत्यापन के बाद, समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य मदों के खर्चों को उनके निर्यात कीमतों से घटा दिया गया है। उपरोक्त खर्चों के समायोजन के बाद, निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत प्रस्तावित किया गया है और इसका नीचे पाटन मार्जिन तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

vi. <u>मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और मेसर्स जिनरुइयांग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) के लिए निर्यात कीमत</u>

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने *** नग सीधे असंबद्ध भारतीय ग्राहक को और *** नग संबंधित व्यापारी अर्थात मेसर्स जिनरुइयांग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को निर्यात किए थे। उत्पादक और संबंधित व्यापारी, दोनों ने प्रत्युत्तर दाखिल कर दिया है और एनईपी निर्धारित करने के लिए सूचना प्रदान की है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य मदों के व्यय को उनके निर्यात कीमतों से घटा दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद भारित औसत निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत प्रस्तावित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

64. यह नोट किया गया है कि संबद्ध जाँच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह निरंतर प्रथा रही है कि वह संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक ही

इकाई मानता है और इस प्रकार उनके लिए एक ही पाटन मार्जिन स्थापित करता है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की गणना करने से पाटन-रोधी उपायों की अवहेलना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को न्यूनतम व्यक्तिगत पाटन मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात भेजने में सक्षम बनाकर, उन्हें अप्रभावी बना दिया जा सकता है।

65. उपर्युक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक ही इकाई माना गया और एक ही पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई। वर्तमान जाँच में, यह पाया गया है कि उत्पादक/निर्यातक मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, मेसर्स नाइनस्टार समूह का हिस्सा हैं। तदनुसार, उनके लिए भारित औसत मार्जिन निर्धारित किया गया है।

vii. <u>असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

66. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमों की धारा 9क(ख) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका 1 में उल्लिखित हैं:

<u>पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

67. विषय वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से विषय वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

तालिका - 1
पाटन मार्जिन

उत्पादक/ निर्यातक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
	(अम.$/नग)	(अम.$/नग)	(अम.$/नग)	%	रेंज
मेसर्स झुहाई झोंगकाई इमेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
मेसर्स झेजियांग झुओताई प्रिंटर कॉज़्यूमेबल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
मेसर्स झुहाई ओरिटोन इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
नाइनस्टार ग्रुप:					
मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
नाइनस्टार ग्रुप	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	70-80

ज. <u>क्षति का निर्धारण, क्षति की जाँच और कारणात्मक संबंध हेतु कार्यप्रणाली</u>

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

68. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि क्षति विश्लेषण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है और पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं करती है।

ख. उनका तर्क है कि, खाली काट्रेजों (सीबीयू/एसकेडी) और चिप्स सहित या बिना चिप्स वाले काट्रेज को शामिल करने के लिए दायरे के विस्तार के बाद, घरेलू उद्योग को संशोधित क्षति और पाटन के आँकड़े अनुरोध करने चाहिए थे, और उस स्थिति की पुनः जाँच की जानी चाहिए; ऐसा न करने पर, क्षति की जांच अविश्वसनीय हैं।

ग. यह तर्क दिया गया है कि क्षति आँकड़े अविश्वसनीय और विकृत हैं, और कीम प्रभावों का आकलन गलत है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं होने वाले लेनदेन को इसमें शामिल किया गया है।

घ. हितबद्ध पक्षकारों का कहना है कि घरेलू उद्योग की क्षमता और बाजार हिस्सेदारी सीमित है और वह कुल मांग को पूरा नहीं कर सकता; इसलिए, बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है।

ड. उनका कहना है कि कोई भी क्षति आंतरिक कारकों, जैसे कच्चे माल की बढ़ती लागत, आयातित इनपुट पर निर्भरता, उत्पादन और विपणन में अकुशलता, के कारण होती है, न कि पाटित आयातों के कारण।

च. यह तर्क दिया जाता है कि मांग में वृद्धि, अन्य स्रोतों से प्रतिस्पर्धा और घरेलू स्तर पर आयातित पुर्जों का मूल्य निर्धारण, कारण-कार्य संबंध को तोड़ते हैं।

छ. उनका तर्क है कि उपयुक्त पीसीएन पद्धति के बिना, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन की तुलना विकृत हो जाती है।

ज. यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा विचारित सकल अचल संपत्तियों पर आय (जीएफए), जो आमतौर पर 22% है, अत्यधिक है और कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

69. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जनवादी गणराज्य से आयात आधार वर्ष में 67,71,107 वस्तुओं से बढ़कर जांच अवधि में 1,06,52,849 वस्तुओं तक पहुँच गया, अर्थात लगभग 57% की वृद्धि हुई। जांच अवधि में आयात में ठीक पिछले दो वर्षों की तुलना में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। चीन जनवादी गणराज्य से आयात में यह पर्याप्त वृद्धि घरेलू उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन पर आयात के हानिकारक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

ख. जांच अवधि के दौरान कुल आयात में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा 99.9% तक अधिक है।

ग. चीन जनवादी गणराज्य से मांग में आयात का हिस्सा ***% तक अधिक है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य के हिस्से में 11% की वृद्धि हुई। तथापि, इसी अवधि के दौरान, समग्र मांग में 41% की वृद्धि के बावजूद, आवेदक की घरेलू बिक्री की मांग में हिस्सेदारी 66% घट गई।

घ. घरेलू उत्पादन में चीन जनवादी गणराज्य से आयात की हिस्सेदारी आधार वर्ष में 1,300% (सूचकांक-100) से जांच अवधि में 4,454% (सूचकांक-343) तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई।

ङ. चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कीमतों में कटौती के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। क्षति की पूरी अवधि के दौरान कीमतों में कटौती उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक रही है।

च. चीन जनवादी गणराज्य से प्राप्त माल का प्रारंभिक मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम है। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं को अपनी लागत से कम कीमत पर बेचने के

लिए विवश होना पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग पर भारी मूल्य ह्रास पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की घरेलू कीमतों में कमी आने के कारण क्षति हुई है।

छ. घरेलू उद्योग के पास जांच अवधि के दौरान लगभग *** वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करने की क्षमता है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का केवल ***% ही उपयोग कर पाया। यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास लगभग ***% अप्रयुक्त क्षमता है। एक बार जब घरेलू उद्योग को शुल्क संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है और वह घरेलू बाजार में लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के साथ-साथ इष्टतम उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, तो उद्योग लगभग छह (6) महीनों की छोटी अवधि में अपनी मौजूदा क्षमताओं के दोगुने से भी अधिक क्षमता तक बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा।

ज. चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया। यह स्थिति स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव को दर्शाती है, जिसमें यदि वे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं तो उनकी स्थिर लागत में काफी वृद्धि होगी, और उनका घाटा भी और बढ़ेगा।

झ. चीन जन. गण. से पाटित आयातों में वृद्धि के कारण उत्पादन में गिरावट के कारण उत्पादकता में गिरावट आई। मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया।

ञ. चीन जन. गण. से बढ़े हुए पाटित आयातों के कारण मांग में वृद्धि के बावजूद उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट के कारण घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई।

ट. चीन जन.गण. से बढ़े हुए पाटित आयातों के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई। कम मूल्य के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए विवश किया, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि में महत्वपूर्ण क्षति हुई। यह अनुरोध किया गया है कि चीन जन.गण. से आयातों का पहुंच मूल्य क्षति की पूरी अवधि के दौरान लगातार बिक्री की लागत से कम रहा। इससे यह भी साबित होता है कि घरेलू उद्योग चीन जन.गण. से गैर-लाभकारी पाटित आयातों के कारण नुकसान उठा रहा है।

ठ. पाटित और क्षतिकारी आयातों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र में भविष्य के निवेश को असुरक्षित बना दिया है। यदि शुल्क नहीं लगाए जाते हैं, तो घरेलू उद्योग की स्थिति और खराब हो जाएगी और कारखाने को बंद करने की नौबत आ सकती है।

ड. चीन जन.गण. से देश में आने वाली संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक हैं, बल्कि महत्वपूर्ण भी हैं। संबद्ध वस्तुओं के भारी पाटन ने भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को समाप्त कर दिया है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

70. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..."* ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

71. जाँच के दौरान क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा अनुरोध किए गए निवेदनों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, उनकी जाँच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है:

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) माँग का आकलन

72. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। इस प्रकार आंकी गई माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

तालिका-2

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	नग	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	122	126	48
चीन जन.गण. से आयात	नग	60,94,742	67,43,049	78,86,029	99,01,900
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	129	162
अन्य देशों से आयात	नग	1,39,113	74,809	78,122	49,430
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	54	56	36
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	नग	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	107	83	59
कुल मांग	नग	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	110	124	143

73. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष से जांच अवधि तक 43 सूचकांक अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवधि में, याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में 52 सूचकांक अंकों की गिरावट आई, जबकि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा में 62 सूचकांक अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात में भी गिरावट आई। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि मांग में वृद्धि मुख्यतः चीन जनवादी गणराज्य से आयातों द्वारा दर्शाई गई है।

ख) आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

74. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

तालिका – 3

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन.गण. से आयात	नग	60,94,742	67,43,049	78,86,029	99,01,900
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	129	162
अन्य देशों से आयात	नग	1,39,113	74,809	78,122	49,430
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	54	56	36
घरेलू उद्योग का उत्पादन	नग	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	114	107	46

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
मांग	नग	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	110	124	143
संबद्ध देश के आयात के संबंध में					
कुल आयात	%	97.80	98.90	99.00	99.50
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	101	102
उत्पादन के साथ संबद्ध देश के आयात का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	97	120	354
मांग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	105	113

75. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क) कुल आयातों में चीन जनवादी गणराज्य से आयातों का हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 100 (सूचकांक अंक) से बढ़कर जांच अवधि में 354 (सूचकांक अंक) हो गया है।
ग) मांग में चीन जनवादी गणराज्य से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 100 (सूचकांक अंक) से बढ़कर जांच अवधि में 113 (सूचकांक अंक) हो गया है।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

76. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में उल्लेखनीय कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में होती।

77. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

78. जांच अवधि (2023-24) के दौरान कीमत कटौती नीचे दी गई है:

तालिका – 4

विवरण	यूओएम	कीमत कटौती
पहुंच कीमत	₹/नग	202
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/नग	***
कीमत कटौती	₹/नग	***
कीमत कटौती	%	***
रेंज	रेंज	45-55

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमतें घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम थीं, जो संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई महत्वपूर्ण मूल्य कटौती को दर्शाती हैं।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

80. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास रहे हैं या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है या कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया:

तालिका – 5

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/नग	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	97	112	122
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/नग	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	99	117	119
पहुंच कीमत	₹/नग	204	215	227	202
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	105	111	99

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री प्राप्ति से काफी कम थी। इससे घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में 22 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पहुँच मूल्य में गिरावट आई है। क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान बिक्री प्राप्ति बिक्री लागत से कम रही है।

ज.3.3. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

82. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

83. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में प्रस्तुत किए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपरक रूप से क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी पैरामीटरों पर यहां नीचे विचार-विमर्श किया गया है:-

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

84. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

तालिका – 6

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन ~ पीयूसी	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	107	46
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	107	45

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू बिक्री	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	126	48
औसत मालसूची	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	179	133	83

85. प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया है:-

क) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई के दौरान 46 सूचकांक बिंदुओं की उल्लेखनीय गिरावट आई है। पीओआई में उत्पादन में भी पिछले दो वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

ख) संबद्ध वस्तुओं के क्षमता उपयोग में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं में से पीओआई के दौरान 45 सूचकांक बिंदुओं की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। पिछले दो वर्षों की तुलना में पीओआई में क्षमता उपयोग में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

ग) संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियों में 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदुओं से महत्वपूर्ण गिरावट आ कर ये पीओआई के दौरान 48 सूचकांक बिंदु रह गए हैं। मांग में वृद्धि के बावजूद पिछले दो वर्षों की तुलना में पीओआई में उत्पादन में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।

घ) घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में पीओआई में उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण गिरावट आई है।

ख) बाजार हिस्सा

86. घरेलू बिक्रियों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है:-

तालिका – 7

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन. गण. से आयात	नग	60,94,742	67,43,049	78,86,029	99,01,900
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	129	162
अन्य देशों से आयात	नग	1,39,113	74,809	78,122	49,430
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	54	56	36
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	126	48
कुल मांग	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	124	143
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	117	33
चीन जन. गण. से आयातों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	105	115

87. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं कि:-

क) समान अवधि के दौरान मांग में 43 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, आधार वर्ष में 100 (सूचकांक बिंदु) से पीओआई के दौरान मांग में घरेलू उद्योग की बिक्रियों के बाजार हिस्से में 33 (सूचकांक बिंदु) तक की महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

ख) मांग में चीन जन. गण. से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 100 (सूचकांक बिंदु) से महत्वपूर्ण वृद्धि हो कर पीओआई में 115 (सूचकांक बिंदु) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेशों पर आय

88. घरेलू उद्योग की क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय (आरओआई) और नकद लाभों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

तालिका – 8

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रू/नग	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-80	-41	-156
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	लाख रू	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-98	-51	-74
नकद लाभ (पीबीटी+ मूल्यह्रास)	लाख रू	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	25	69	6
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	152	470	-116

89. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:-

क) कंपनी ने चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि और पीओआई की अवधि के दौरान हानियों को वहन किया है। घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी (आरओसीई) पर वापसी आधार वर्ष और पीओआई दोनों के दौरान ऋणात्मक थी।

ख) आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में प्रति यूनिट हानियों में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ग) नकद लाभ में 2022-23 में 69 सूचकांक बिंदुओं से गिरावट आ कर यह 2023-24 में 6 सूचकांक बिंदु रह गया। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

घ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उच्च हानियां चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि से उत्पन्न दबाव के कारण थी।

घ) मालसूची

90. क्षति अवधि में मालसूची के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:-

तालिका – 9

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
औसत मालसूची	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	179	133	83

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालूसची में 2022-23 में 133 सूचकांक बिंदुओं तक गिरावट होने से पहले यह आधार वर्ष में 100 सूचकांक बिंदुओं से वृद्धि हो कर 2021-22 में 179 सूचंकांक बिंदु हो गई थी। पीओआई के दौरान, मालसूची में और गिरावट आ कर यह 83 सूचकांक बिंदु हो गई।

ड.) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

92. क्षति अवधि में उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका – 10

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
दैनिक उत्पादकता	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	107	46
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	नग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	119	68
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	90	67
वेतन और मजदूरी	लाख रू	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	112	75

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है। दैनिक उत्पादकता आधार वर्ष में 100 सूचकांक बिंदुओं से कम हो कर पीओआई में 46 सूचकांक बिंदु रह गई जबकि समान अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता 100 सूचकांक बिंदुओं से गिर कर 68 सूचकांक बिंदु रह गई। कर्मचारियों की संख्या भी आधार वर्ष में 100 सूचकांक बिंदुओं से घट कर पीओआई में 67 सूचकांक बिंदु रह गई। तदनुसार, वेतन और मजदूरियों में 100 सूचकांक बिंदु से कमी हो कर यह पीओआई में 75 सूचकांक बिंदु रह गई जो पीओआई के दौरान कर्मचारियों की संख्या और समग्र प्रचालन संबंधी क्षमता में कमी को प्रतिबिंबित करता है।

च) वृद्धि

94. क्षति अवधि में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका – 11

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई
उत्पादन	%	***	(***)	(***)
घरेलू बिक्रियां	%	***	***	(***)
पीबीटी (प्रति इकाई)	%	***	***	(***)
नकद लाभ (लाख)	%	***	***	(***)
आरओआई	%	***	***	(***)
मांग में डीआई का बाजार हिस्सा	%	***	(***)	(***)
मालसूची	%	***	(***)	(***)

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2021-22 से पीओआई तक के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, लाभों, नकद लाभों, निवेश पर आय, बाजार हिस्से और मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक रही है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

96. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संबंधी मूलभूत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, पर विचार किया जाना यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम है, जो भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण कीमत कटौती कर सकते हैं। यह भी नोट किया गया है कि पीओआई सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी थी और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात हैं।

ज) पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण और अधिक पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता में महत्वपूर्ण कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग की हानियों में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग और अधिक पूंजी निवेशों को जुटाने की स्थिति में नहीं है।

झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

98. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जिस तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन पीओआई के दौरान न्यूनतम सीमा से अधिक और महत्वपूर्ण बना रहा है।

झ) गैर-आरोपण विश्लेषण

99. एडी नियमों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच किया जाना जरूरी है जो इसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित नहीं किया जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कारक जो इस संबंध में प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें पाटित आयातों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी और नियति निष्पादन में और घरेलू उद्योग की उत्पादकता में परिवर्तन को शामिल किया जा सकता है। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक भी क्षति में योगदान कर सकते हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान असंबद्ध देशों से आयातों की कीमत संबद्ध देश आयातों की कीमत की तुलना में उच्च है और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत की तुलना में भी अधिक है अथवा आयातों की मात्रा न्यूनतम है।

ख) मांग में संकुचन

101. पूरी क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि बनी रही है। इसलिए, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता।

ग) निर्यात निष्पादन और सीमित उपभोग

102. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में केवल बिक्रियों में संलग्न है। यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल पीयूसी के लिए इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

103. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता है। आगे यह नोट किया गया हे कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है।

ड.) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

104. क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए केवल पीयूसी से संबंधित जानकारी पर ही प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

च) व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

105. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां विद्यमान नहीं हैं जिन पर घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही महत्वपूर्ण क्षति के कारण के रूप में विचार किया जा सकता है।

छ) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

106. पीयूसी के संबंध में भारत में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

107. प्राधिकारी ने अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित नियमों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी को निर्धारित किया है। पीयूसी के लिए, एनआईपी को पीओआई के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विधिवत सत्यापित की गई उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना / डाटा को अपना कर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत के साथ एनआईपी की तुलना की गई है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में कच्चे माल और युटीलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत में असाधारण या अनावर्ती व्ययों को शामिल नहीं किया गया है। एनआईपी पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में पीयूसी के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22%) को अनुमति प्रदान की गई थी जैसाकि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है।

108. उपरोक्त अनुसार निर्धारित एनआईपी और पहुंच कीमत के आधार पर, प्रस्तावित क्षति मार्जिन जैसाकि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, को नीचे तालिका – 12 में उपलब्ध कराया गया है।

तालिका – 12
क्षति मार्जिन

उत्पादकों / निर्यातकों का नाम	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन		
	(अम.$/नग)	(अम.$/नग)	(अम.$/नग)	%	रेंज
मेसर्स झुहाई झोंगकाई इमेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
मेसर्स झेजियांग झुओताई प्रिंटर कॉज़्यूमेबल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
मेसर्स झुहाई ओरिटोन इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
नाइनस्टार ग्रुप:					
मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
नाइनस्टार ग्रुप	***	***	***	***	30-40
अन्य	***	***	***	***	70-80

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क) इस मामले में पाटनरोधी शुल्कों को लागू किया जाना बृहत सार्वजनिक हित के काम को पूरा नहीं करेगा और वास्तव में इसका उपभोक्ताओं, डाउनस्ट्रीम उद्योगों और समग्र बाजार पर उल्लेखनीय विपरीत प्रभाव पड़ा है।
ख) शुल्कों को लागू किया जाना प्रयोक्ताओं के लिए लागतों में वृद्धि करेगा, प्रतिस्पर्धी कीमत वाले उत्पादों तक पहुंच को सीमित करेगा, प्रतिस्पर्धा को कम करेगा और उपभोक्ता के चयन को सीमित करेगा।
ग) घरेलू उद्योग के पास कुल घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है और इसका आपूर्ति को सीमित किए जाने के परिणामस्वरूप डाउन स्ट्रीम उद्योग को कमी और नुकसान पहुंचेगा।
घ) घरेलू उद्योग मुख्य रूप से आयातित संघटकों पर निर्भर है और तैयार उत्पादों पर शुल्क को लागू किए जाने से घरेलू मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी अथवा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा नहीं मिलेगा।
ड.) शुल्कों को लागू किए जाने से कार्य कुशलता, नवीनीकरण और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. भारतीय उद्योग के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क) पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना भारतीय बाजार में समानता को सुरक्षित करेगा और पाटित आयातों के विपरीत प्रभाव से घरेलू उत्पादकों की रक्षा करेगा।
ख) घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग के मुख्य अनुपात को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपयोग न की गई क्षमता मौजूद है। और यदि पाटित आयातों के विरूद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तो यह अल्प अवधि में ही उत्पादन क्षमता को और बढ़ा सकता है।
ग) विभिन्न प्रकार के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा।
घ) शुल्कों को लागू किए जाने से घरेलू उद्योग एक ईष्टतम क्षमता उपयोग पर प्रचालन करने, उत्पादकता में सुधार होगा और अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होंगे, में सक्षम होगा।
ड.) यह क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा, आपूर्ति की स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।
च) पाटनरोधी उपायों के बिना घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में ह्रास होना जारी रहेगा जिससे इसके बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा जो उद्योग के समग्र हित के लिए हानिकारक होगा।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध पाटनरोधी जांच पर उनके मतों को आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातकों / प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर विनियमेयता, स्रोतों को बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, आदि पर जानकारी की मांग की है।

112. प्राधिकारी ने नोट किया है कि अन्य असंबद्ध देशों से भी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है। चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की स्थिति में, प्रयोक्ता उद्योग पाटन रोधी शुल्क के बिना अन्य असंबद्ध देशों से आयात करने में समर्थ होगा।

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को पुन: स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। वैसे भी, पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचार जांचों का अभिप्राय व्यापार विकृत करने वाले आयातों के विरूद्ध उचित शुल्कों को लागू करने के द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करने के द्वारा घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों को सुरक्षित बनाए रखना है। इसी समय, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक सीमित नहीं है बल्कि पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है।

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। संबद्ध देश से आयातों की वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि भारतीय उद्योग देश की अधिकतम मांग को पूरा करने की क्षमता धारित करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने स्थल पर किए गए सत्यापन के दौरान प्रदर्शित किया है कि वे आसानी से सिर्फ तीन शिफ्टों में काम करने के द्वारा उत्पादन में तीन गुणा वृद्धि करने में समर्थ होंगे। अन्य उत्पादकों की क्षमता सहित घरेलू उद्योग की बढ़ी हुई क्षमता देश की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

ठ. पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियां

ठ.1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

115. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित पोस्ट डिस्क्लोजर सबमिशन किए गए हैं:

क) यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रकटीकरण बयान में मेसर्स राहुल एंटरप्राइजेज, मैसर्स विहान इम्पेक्स और मैसर्स डेल्को कॉपियर को उनके पंजीकरण और भागीदारी के बावजूद गलती से बाहर कर दिया गया था। प्राधिकारी से इस चूक को सुधारने का अनुरोध किया गया था।

ख) यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्यातक का नाम अंतिम निष्कर्षों के सभी भागों में "मैसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड" के रूप में सही रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए।

ग) पीयूसी के दायरे को डीजीटीआर मैनुअल और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत, खाली कार्ट्रिज, एसकेडी/सीबीयू फॉर्म और मेमोरी चिप वेरिएंट को शामिल करके शुरू होने के बाद अवैध रूप से विस्तारित किया गया है। इसी तरह, घरेलू उद्योग द्वारा ओईएम बहिष्करण में प्रस्तावित संशोधन अनुमेय है क्योंकि यह अधिसूचित दायरे को भौतिक रूप से बदल देता है और पक्षों को जवाब देने के उचित अवसर से वंचित करता है। इस ओईएम बहिष्करण को स्पष्ट रूप से लिखा गया है और प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार जांच के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

घ) बार-बार अनुरोध किए जाने और स्टेकहोल्डरों से सांकेतिक लागत और मूल्य निर्धारण संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता के बावजूद प्राधिकारी उपयुक्त उत्पाद तुलना संख्या (पीसीएन) पद्धति अपनाने में विफल रहा है। प्राधिकारी का अवलोकन है कि पीयूसी एक कमोडिटी उत्पाद है जहां "नियमित प्रकार/मॉडल" बाजार के 90% से अधिक का गठन करते हैं, को त्रुटिपूर्ण कहा गया है, क्योंकि यह तर्क मेमोरी चिप्स, टोनर सामग्री या अन्य विशेषताओं के कारण मूल्य निर्धारण में अंतर

को अनुचित रूप से खारिज करता है। उचित पीसीएन पद्धति के अभाव के परिणामस्वरूप डंपिंग और क्षति के माजिन में विकृति आई है और इसके अलावा, पाटनरोधी नियमों और विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं में निहित उचित तुलना के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

ङ) प्राधिकारी से आग्रह किया जाता है कि वह महत्वपूर्ण उत्पाद और मूल्य भिन्नताओं को देखते हुए एक निश्चित मात्रा शुल्क के बजाय एक संदर्भ मूल्य-आधारित शुल्क अपनाए, जो एक निष्पक्ष, आनुपातिक और डब्ल्यूटीओ-सुसंगत उपाय सुनिश्चित करता है। नियोजित पूंजी पर एक समान 22% रिटर्न लगाने पर भी अनुचित और मौजूदा आर्थिक स्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ असंगत होने पर सवाल उठाया जाता है।

च) प्रोटोकॉल की धारा 15 (ए) (i) के साथ पठित नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 8 के तहत निर्धारित बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी) शर्तों को पूरा करने पर प्राधिकारी द्वारा निरंतर आग्रह, वर्तमान डब्ल्यूटीओ कानूनी ढांचे में कानूनी आधार के बिना है। धारा 15(ए)(ii) की समाप्ति धारा 15(ए)(i) के व्यावहारिक अनुप्रयोग को अप्रासंगिक बना देती है, क्योंकि चीनी कीमतों और लागतों के उपयोग को कम करने के लिए अब कोई वैध वैकल्पिक पद्धति उपलब्ध नहीं है। चीन के व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में वास्तविक कीमतों और लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

छ) शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए स्थायी लाभ प्राप्त किए बिना उपभोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को नुकसान होगा, और इस प्रकार यह सार्वजनिक हित में नहीं है।

ज) इच्छुक पार्टियों ने याचिका दायर करने के लिए आवेदक की पात्रता और स्थिति पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि अन्य घरेलू उत्पादक मौजूद हैं, लेकिन प्राधिकारी द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है या अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है।

झ) पीओआई के बाद शुरू किए गए 10% मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को ध्यान में नहीं रखने के प्राधिकारी के निर्णय ने अत्यधिक सुरक्षा और अत्यधिक शुल्कों की चिंताओं को जन्म दिया है।

ञ) डीजीटीआर द्वारा अंतिम निष्कर्ष जारी किए जाने से पहले यदि आवश्यक हो तो सहकारी निर्यातकों के नाम की जांच की जानी चाहिए और अंतिम निष्कर्षों के सभी भागों में सुधार किया जाना चाहिए।

ट) आवेदक की पात्रता की कमी और याचिका दायर करने के लिए खड़े होने के कारण पूरी जांच मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, जो स्पष्टीकरण की आड़ में उत्पाद के दायरे के अनुचित विस्तार से और बढ़ गई है। प्राधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद प्रकारों को शामिल नहीं किया गया है, और सीकेडी रूपों को छोड़कर, विचाराधीन उत्पाद के हिस्से के रूप में सीबीयू और एसकेडी रूपों में खाली कार्ट्रिज का गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप जांच की निष्पक्षता को कम करते हुए एक विकृत और अन्यायपूर्ण गुंजाइश पैदा हुई है।

ठ) गोपनीयता प्रावधानों का दुरुपयोग प्रमुख तथ्यों को अस्पष्ट करने के लिए किया गया है, जिसमें आवेदक की खाली कार्ट्रिज जैसे आयातित घटकों पर निर्भरता भी शामिल है। घरेलू उद्योग को अनुमत अत्यधिक गोपनीयता से जांच की अखंडता से और समझौता किया जाता है, जिसने जानबूझकर अपनी उत्पादन प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया है, अन्य हितधारकों को सार्थक रूप से भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया है।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सबमिशन

116. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित पोस्ट प्रकटीकरण प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

क) प्रकटीकरण बयान के पैरा संख्या 28 में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अन्य इच्छुक पार्टियों को ओईएम के बहिष्करण में संशोधन के संबंध में अपनी प्रस्तुतियों को प्रसारित नहीं किया है। इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने ओईएम के बहिष्करण पर स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हुए इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों के जवाब में ओईएम बहिष्करण के संशोधन के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुतियां दायर की हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा लिखित प्रस्तुतियों के एक भाग के रूप में इस तरह के प्रस्तुतीकरण करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध के परिणामस्वरूप अनुरोधित संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, प्राधिकारी के निरंतर अभ्यास के मामले के रूप में, इच्छुक पक्षों के साथ साझा करने के लिए प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ अपेक्षित नहीं हैं। अंतिम लेकिन कम से कम, इच्छुक पार्टियों को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतियों का जवाब देने का अवसर दिया गया है जैसा कि प्रकटीकरण बयान में दर्ज किया गया है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है और घरेलू उद्योग के अनुरोध की अनुमति देकर इच्छुक पक्षों के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता है।

ख) उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी का ध्यान दीक्षा नोटिस में परिभाषित ओईएम बहिष्करण की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

मुद्रण उपकरण के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए आयात किया गया ब्लैक टोनर कार्ट्रिज।

ग) घरेलू उद्योग एचपी, कैनन आदि जैसे स्थापित ओईएम के वास्तविक हित को ध्यान में रखते हुए ओईएम के बहिष्करण के दायरे को संशोधित करने के लिए सहमत हुआ। नतीजतन, ओईएम के दायरे को 28.12.2024 के पीयूसी नोटिस में संशोधित किया गया था, जो इस प्रकार है:

ब्लैक टोनर कार्ट्रिज प्रिंटर के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम के तहत आयात किया जाता है।

घ) ओईएम बहिष्करण में संशोधन का प्रभाव यह होगा कि आयातकों द्वारा अपने ब्रांड नाम से किए गए किसी भी आयात को जाँच के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बाजार की जानकारी के अनुसार, कुछ बेईमान आयातक अपने ब्रांड नाम से प्रिंटर के दो-तीन मॉडल आयात करके शुल्क से बचने की योजना बना रहे हैं ताकि वे ओईएम के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकें और फिर पीयूसी को शुल्क-मुक्त आयात कर सकें। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि कुछ इच्छुक पक्षों ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि किसी आयातक को ओईएम के रूप में कब बाहर रखा जाएगा।

ङ) घरेलू उद्योग विनम्र रूप से माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह पीयूसी के दायरे में ओईएम बहिष्करण के मुद्दे को और स्पष्ट करे और कर्तव्यों के उल्लंघन की संभावना से बचने के लिए नीचे के रूप में ओईएम बहिष्करण को संशोधित करे अन्यथा जांच का पूरा उद्देश्य गंभीर रूप से विफल हो जाएगा। ओईएम अपवर्जन में प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि आयातक केवल शुल्क मुक्त पीयूसी का आयात करने में सक्षम होंगे जो केवल अपने ब्रांड के प्रिंटर में फिटमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं और विशेष रूप से हैं। सरल शब्दों में, यह सुनिश्चित करेगा कि एचपी अपने प्रिंटर में उपयोग किए जाने वाले केवल शुल्क-मुक्त पीयूसी आयात करने में सक्षम होगा, न कि कैनन, ब्रदर, एप्सन आदि जैसी अन्य कंपनियों द्वारा प्रिंटर के निर्माता के लिए शुल्क-मुक्त पीयूसी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य इच्छुक पार्टियों दोनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

ब्लैक टोनर कार्ट्रिज प्रिंटर के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम के तहत आयात किया जाता है, जो विशेष रूप से अपने स्वयं के ब्रांड के प्रिंटर में फिटमेंट के लिए डिज़ाइन और अभिप्रेत हैं।

च) विषय माल का दायरा ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज है, जिसमें परिभाषा के अनुसार, सभी आकारों, प्रकारों के साथ-साथ चिप के साथ या बिना दोनों भरे हुए और खाली कार्ट्रिज शामिल हैं। ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज का टोनर घटक सिर्फ एक उपभोज्य है और यह पीयूसी के दायरे को प्रभावित नहीं करता है, जैसा कि परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में, ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज, खाली कार्ट्रिज सहित सभी रूपों और प्रकारों में भरे हुए और खाली दोनों को पीयूसी के दायरे में कवर किया गया है। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ की पहली अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के नियम 2 (ए) का सही उल्लेख किया है।

छ) पीयूसी की परिभाषा में या इस तथ्य पर कोई संकेत नहीं है कि खाली कार्ट्रिज को कभी भी पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया था। कुछ इच्छुक पक्षों के कहने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया। प्राधिकारी ने अंतिम पीयूसी/पीसीएन नोटिस के माध्यम से ठीक ही स्पष्ट किया है कि खाली कार्ट्रिज पीयूसी के दायरे में शामिल हैं। प्राधिकारी ने रॉकर ब्रेकर आदि जैसी कई जांचों में भी इसी दृष्टिकोण का पालन किया।

ज) घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- घरेलू उद्योग ने खाली कार्ट्रिज का निर्माण किया है और उसका निर्माण कर रहा है।
- खाली कार्ट्रिज का अंतिम उपयोग काले टोनर पाउडर को भरना है। इच्छुक पार्टियों ने अपनी प्रस्तुतियों में यह भी स्वीकार किया है कि खाली कार्ट्रिज, अपने स्वभाव से, टोनर से भरे होने तक टोनर कार्ट्रिज के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं।
- खाली कार्ट्रिज से भरे हुए कार्ट्रिज तक मूल्यवर्धन बहुत कम है।
- खाली कार्ट्रिज में पाउडर भरने की प्रक्रिया अकुशल श्रम का उपयोग करके काफी सरल प्रक्रिया है। इसमें तकनीकी जटिलता या महत्वपूर्ण लागतों का अभाव है।
- पूर्वाग्रह के बिना, खाली कार्ट्रिज पीयूसी का एक रूप है और इसलिए, इसे बाहर करने के लिए कोई प्रश्न/तर्क नहीं है।

झ) पीयूसी के दायरे से खाली कार्ट्रिज को बाहर करने से कर्तव्य का उल्लंघन होगा। प्राधिकारी ने पिछली जांचों के बाद जांच के दायरे में उन उत्पादों के प्रकारों को भी शामिल किया था जिनका निर्माण पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा इस आधार पर नहीं किया गया था कि घरेलू उद्योग के पास इसका निर्माण करने की क्षमता थी और दोनों उत्पाद धोखाधड़ी की संभावना से बचने के लिए तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत कुछ मामलों में संतृप्त फैटी अल्कोहल, व्हील लोडर, स्वयं चिपकने वाला विनाइल, एसडीएच उपकरण आदि शामिल हैं।

ञ) घरेलू उद्योग दोहराता है कि घरेलू उद्योग में सभी प्रकार के कार्ट्रिज के साथ-साथ आकार के कार्ट्रिज बनाने की क्षमता है। घरेलू उद्योग ने ऑनसाइट सत्यापन दौरे के दौरान जांच दल के सामने यह प्रदर्शन किया है।

ट) यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बहिष्करण संख्या को संशोधित करने के लिए किए गए उपरोक्त अनुरोध के अधीन प्रकटीकरण विवरण के पैरा संख्या 30 में प्रदान की गई पीयूसी की परिभाषा की पुष्टि करें। (घ) ओईएम से संबंधित है।

ठ) भारत में पीयूसी के केवल दो उत्पादक हैं, अर्थात् मैसर्स इंद्रायणी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक) और मैसर्स डीआईसी टेकवेयर प्राइवेट लिमिटेड। दूसरे निर्माता ने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। आवेदक भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। आवेदक ने

पीओआई और पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान विषय देश से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक पीओआई के दौरान विषय वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी ने नियम 5(3) के साथ पठित एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर आवेदक को एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना है।

ड) वर्तमान मामले में किसी पीसीएन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विषय वस्तु एक कमोडिटी उत्पाद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय बाजार में नियमित प्रकार/मॉडल की खपत 90% से अधिक है, जिसका किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा दावा नहीं किया जाता है। प्राधिकारी ने कोई पीसीएन नहीं करने का सही निर्णय लिया है।

ढ) चीन पीआर से डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। प्राधिकारी ने प्रकटन वक्तव्य में ठीक ही जांच की है कि चीन पीआर से डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है।

ण) यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटीकरण विवरण में प्रदान किए गए डंपिंग और क्षति मार्जिन की पुष्टि करें और उसमें कोई बदलाव न करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ प्रकटीकरण विवरण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने की स्थिति में अपनी टिप्पणियां/प्रस्तुतियाँ दर्ज करने का भी अनुरोध किया जाता है।

ठ. 3. प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

117. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियों की जांच की है और नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियां/प्रस्तुतियां दोहराए गए हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा चुका है। संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण के बाद की जांच में इसे दोहराया नहीं जा रहा है। इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

118. प्रकटीकरण बयान से मेसर्स राहुल एंटरप्राइजेज, मैसर्स विहान इम्पेक्स और मैसर्स डेल्को कॉपियर की चूक से संबंधित प्रस्तुतियों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि उपरोक्त आयातकों/ उपयोगकर्ताओं ने विषय जांच में विधिवत पंजीकरण किया था और प्राधिकारी के समक्ष प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ दाखिल करके भाग लिया था, हालांकि उन्होंने प्रश्नावली के जवाब दाखिल नहीं किए थे। तथापि, अंतिम निष्कर्षों में प्रक्रिया शीर्षक के अंतर्गत उनके नामों को समुचित रूप से शामिल किया गया है।

119. निर्यातक के नाम से संबंधित प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकारी ने इस पर ध्यान दिया है, और तदनुसार अंतिम निष्कर्षों में नाम को सही करके "*मैसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड*" कर दिया गया है।

120. इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए दावे के संबंध में कि पीयूसी के दायरे को खाली कार्ट्रिज, एसकेडी/सीबीयू फॉर्म और मेमोरी चिप वेरिएंट को शामिल करके बढ़ाया गया है, प्राधिकारी नोट करता है कि ये प्रस्तुतियाँ केवल पहले की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित की गई हैं।

121. प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि उसने आवेदन में और आरंभिक अधिसूचना में प्रदान की गई जानकारी के दायरे से परे पीयूसी के दायरे का विस्तार नहीं किया है क्योंकि खाली कार्ट्रिज केवल ऐसे रूप हैं जिनमें पीयूसी को भारत में आयात किया जा सकता है। इस मुद्दे पर प्रकटीकरण वक्तव्य में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। यह प्राधिकारी के निरंतर अभ्यास के साथ-साथ जांच के उद्देश्य के अनुरूप है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटीकरण बयान में स्पष्ट

किया है कि सभी आकारों और सभी रूपों में ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज के साथ-साथ खाली कार्ट्रिज जांच के दायरे में शामिल हैं।

122. जहां तक इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए इस दावे का संबंध है कि आवेदक ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए गोपनीयता प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये निवेदन पूर्व में किए गए निवेदनों की पुनरावृत्ति मात्र हैं और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में इनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

123. ओईएम बहिष्करण पर इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकारी ने सभी इच्छुक पार्टियों के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतियों की जांच की है। यह ध्यान दिया जाता है कि जांच शुरू करने के समय, दीक्षा अधिसूचना में ओईएम बहिष्करण को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

"घ. ब्लैक टोनर कार्ट्रिज प्रिंटिंग उपकरण के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए आयात किया गया।"

124. इसके बाद, पीयूसी/पीसीएन बैठक और इच्छुक पार्टियों और घरेलू उद्योग के साथ हुई चर्चा के बाद, 28 नवंबर 2024 को सम संख्या की एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें ओईएम बहिष्करण को इस प्रकार अधिसूचित किया गया था:

"*घ. ब्लैक टोनर कार्ट्रिज प्रिंटर के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम के तहत आयात किया जाता है।*"

125. इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, ओईएम बहिष्करण पर अन्य इच्छुक पक्षों या घरेलू उद्योग से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

126. यह भी ध्यान दिया जाता है कि मौखिक सुनवाई के दौरान और घरेलू उद्योग द्वारा दायर बाद में लिखित प्रस्तुतियों में भी, ओईएम बहिष्करण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

127. इस मुद्दे को पहली बार केवल प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों और प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियों में उठाया गया था, जिसमें घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि ओईएम बहिष्करण को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

"*घ. ब्लैक टोनर कार्ट्रिज प्रिंटर के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम के तहत आयात किया जाता है, जो केवल अपने स्वयं के ब्रांड के प्रिंटर में फिटमेंट के लिए डिज़ाइन और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं*।

128. जांच के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि इस विलंबित चरण में की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह के देर से चरण के अनुरोधों पर विचार करना पारदर्शिता, निश्चितता और समान अवसर के सिद्धांतों को कमजोर करेगा जो व्यापार उपचार जांच में आवश्यक हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि ओईएम बहिष्करण, जैसा कि 28 नवंबर 2024 की अधिसूचना में पहले ही परिभाषित किया गया है, पर्याप्त रूप से इच्छित दायरे को दर्शाता है और किसी भी अस्पष्टता के खिलाफ आवश्यक स्पष्टता प्रदान करता है।

129. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उनके प्रत्युत्तर/ प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों में प्रस्तावित ओईएम बहिष्करण को संशोधित करने के अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ओईएम बहिष्करण वही रहेगा जो पीयूसी/पीसीएन अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है, अर्थात्,

"घ. ब्लैक टोनर कार्ट्रिज प्रिंटर के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम के तहत आयात किया जाता है।

130. इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी उचित पीसीएन पद्धति को अपनाने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये निवेदन पूर्व में किए गए निवेदनों की पुनरावृत्ति मात्र हैं और अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में इनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि कथित मानदंडों के परिणामस्वरूप लागत और कीमत में महत्वपूर्ण अंतर होता है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि भारतीय खपत का 90% से अधिक हिस्सा नियमित प्रकार के पीयूसी का है और किसी अन्य हितबद्ध पक्ष द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य देकर इस दावे का खंडन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि कथित मानदंडों के आधार पर कीमत में कोई भौतिक अंतर नहीं है। इसलिए, सभी निवेदनों की जांच के बाद, यह नोट किया गया कि विषयगत जांच में पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।

131. इच्छुक पार्टियों ने दावा किया है कि शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को नुकसान होगा। प्राधिकारी नोट करता है कि ये प्रस्तुतियाँ केवल पहले की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित की गई हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि पाटन रोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटन रोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से संबंधित देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का उद्देश्य व्यापार विकृतिकारी आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है।

132. जहां तक इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने के योग्य नहीं है, यह देखते हुए कि अन्य घरेलू उत्पादक मौजूद हैं, लेकिन प्राधिकारी द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है या अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया है, प्राधिकारी नोट करता है कि ये प्रस्तुतियाँ केवल पहले की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित की गई हैं। प्राधिकारी ने नोट किया कि इनमें से कुछ उत्पादक आयातक भी हैं, जैसा कि आयात डेटा के विश्लेषण से पता चलता है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि केवल जीईएम में पंजीकरण का मतलब यह नहीं है कि कोई विशेष कंपनी एक निर्माता है, जो इस तथ्य से प्रमाणित है कि जीईएम में पंजीकृत कुछ कंपनियां भी आयातकों के रूप में परिलक्षित होती हैं। यह भी नोट किया गया है कि इच्छुक पार्टियों द्वारा इन अन्य उत्पादकों के उत्पादन, कारखाने के पते, पंजीकरण आदि के विवरण के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा, किसी भी अन्य उत्पादकों ने प्राधिकारी के समक्ष यह दावा करते हुए कोई प्रस्तुतियां दायर नहीं की हैं कि वे विषय वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं।

133. जहां तक नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल की अनुमति देने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सभी जांचों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली सुसंगत प्रक्रिया के अनुरूप है।

134. इच्छुक पार्टियों ने दावा किया है कि जांच की अवधि के बाद लागू किए गए 10% मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को शामिल न करने के प्राधिकारी के निर्णय से अतिसंरक्षण और अत्यधिक शुल्कों की चिंताएं पैदा हुई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अनुरोध पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र हैं और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में इनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 10% का बीसीडी वित्त विधेयक, 2024 में, अर्थात् जांच की अवधि के बाद लागू किया गया था। तदनुसार, इसे जांच शुरू होने से पहले या बाद में क्षति मार्जिन के अनुमान में शामिल नहीं किया जा सकता है। मार्जिन का निर्धारण जांच की अवधि के आयात मूल्यों के

आधार पर किया जाता है, न कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के आधार पर। इस जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के दौरान लागू बीसीडी की दर को ही ध्यान में रखा है।

ड. निष्कर्ष

135. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, इच्छुक पार्टियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और घरेलू उद्योग के लिए डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

क) विचाराधीन उत्पाद इस निष्कर्ष के पैरा 30 के तहत परिभाषित "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है।

ख) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, विषयगत देश से आयातित पीयूसी के समान वस्तु है।

ग) आवेदक नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है, और यह कि आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

घ) विषय देश से डंपिंग मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ङ) संबंधित देश से डंप किए गए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। क्षति का मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

च) ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचा है।

136. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को नुकसान संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण हुआ है।

137. जनहित के संबंध में यह नोट किया गया है कि डंपिंग रोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर बाजार में प्रवेश करे।

ढ. सिफारिश

138. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, संबंधित देश के दूतावास, विषय देश से संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों को डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5 (3) के तहत शुरू करने और एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 17 (1) (क) के तहत आवश्यक डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के संबंध में एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 के अनुसार जांच करने और विषय देश से आयात के कारण घरेलू उद्योग को सामग्री की क्षति स्थापित करने के बाद, प्राधिकारी विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

139. पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(1)(ख) में उल्लिखित कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से, कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। इच्छुक पक्षों के प्रस्तुतीकरण तथा मामले के तथ्यात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, पाटन रोधी शुल्क के निश्चित स्वरूप की सिफारिश करने

का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी, विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ संख्या (vii) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र. सं.	**एच एस कोड #**	**माल का विवरण ***	**मूल देश**	**निर्यात का देश**	**निर्माता**	**शुल्क (अम.$/नग)**
(i)	*(ii)*	*(iii)*	*(iv)*	*(v)*	*(vi)*	*(vii)*
1.	84439959, 84439952	ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	मेसर्स झुहाई झोंगकाई इमेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.80
2.	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	मेसर्स झेजियांग झुओताई प्रिंटर कॉज़्यूमेबल्स कंपनी लिमिटेड	1.03
3.	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	मेसर्स झुहाई ओरिटोन इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड	1.06
4.	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	मेसर्स झुहाई नाइनस्टार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	0.65
5.	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	मेसर्स टॉपजेट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	0.65
6.	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	मेसर्स चाइनामेट आई-टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	0.65
7.	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	*-वही-*	कोई भी उत्पादक	1.28
8.	*-वही-*	*-वही-*	चीन पीआर के अलावा कोई भी देश	चीन पीआर	कोई भी उत्पादक	1.28

 # - सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

✶ - विचाराधीन उत्पाद "ब्लैक टोनर पाउडर कार्ट्रिज" है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आकारों और सभी रूपों में काले टोनर पाउडर कार्ट्रिज के साथ-साथ खाली कार्ट्रिज भी जांच के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि दोनों कार्ट्रिज यानी मेमोरी चिप के साथ और बिना मेमोरी चिप के जांच के दायरे में आते हैं।

निम्नलिखित प्रकार के कार्ट्रिज जांच के दायरे में नहीं आते हैं:

क) कलर लेज़र टोनर कार्ट्रिज,
ख) एमआईसीआर टोनर कार्ट्रिज (चेकों में छपाई के लिए प्रयुक्त विशेष टोनर),
ग) इंकजेट लिक्विड टोनर कार्ट्रिज,
घ) प्रिंटर के ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड नाम से आयातित ब्लैक टोनर कार्ट्रिज और
ङ) ड्रम यूनिट कार्ट्रिज।

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

140. इस अंतिम निष्कर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
नामित प्राधिकारी